सूचना विवरणिका
लोक प्राधिकारी द्वारा तात्कालिक प्रकटन

# (Proactive disclosure by public Authority)

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005
के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये
17 मैनुअल
(धारा – 4 के अनुपालन में)

भाग – 1

मैनुअल संख्या 01 सें 04

संस्करण(2009–2010)

उच्च शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

# सूचना के अधिकार अधिनियम 2005
# के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये
# 17 मैनुअल

## भाग–1

1. संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य।
2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।
3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।
4. कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।

## भाग–2

5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

## भाग–3

6. ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण।
7. किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।
8. ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवत्त तक जनता की पहुंच होगी।
9. अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।
10. प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।
11. सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।
12. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।
13. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां
14. किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।
15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां विशिष्टियां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।
16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां
17. ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय

# सन्देश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अनुसरण में निर्धारित मैनुअल का प्रकाशन किया जा रहा है।

एक सुविकसित लोकतान्त्रिक प्रणाली में लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन आवश्क सूचनाओं को जन समन्वय तक पहुँच सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है ताकि शासन–तन्त्र में पारदर्शिता के माध्यम से उत्तरदायित्व का निर्धारण तथा कार्य–संस्कृति के सृजन का वातावरण निर्मित हो सके तथा जन–प्रतिभागिता के सकारात्मक आयामों में अभिवृद्धि के फलस्वरूप विकास के नये प्रतिमान स्थापित हो सकें। इन लोक कल्याणकारी उद्देश्यों के आलोक में भारतीय संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार विधेयक, 2005 नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन प्रति स्थापित करने में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

उत्तरांचल शासन द्वारा इस विधेयक को निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार क्रियावन्वित करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ की गई है जिसके अनुसरण में प्रत्येक प्रशासनिक विभाग को निश्चित समयावधि में 16 मदों का मैनुअल तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तरांचल द्वारा इस दिशा में समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी। तथा उनके द्वारा प्रकाशित मैनुअल तैयार करने के कार्य से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी शुभकामनाएं सम्प्रेषित करते हुए मैनुअल के सफल प्रकाशन की कामना करता हूं।

14 अगस्त, 2005

*(एम0 रामचन्द्रन)*
कार्यवाहक मुख्य सचिव

# सन्देश

उत्तरांचल में सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 की धारा–4 के अनुपालन में निर्धारित 100 दिन की अवधि के भीतर लोक प्राधिकारियों द्वारा तात्कालिक प्रकटन के दायित्व के अर्न्तगत इस निदेशालय के द्वारा प्रथम सूचना विवरणिका सीमित प्रतियों में तात्कालिक आवश्यकताओं एवं उपयोग को ध्यान में रखकर प्रकाशित की गयी थी, जिसकी एक प्रति उत्तरांचल सूचना आयोग के अनुमोदनार्थ भी प्रेषित की गयी थी। प्रारम्भ में यह विवरणिका सीमित प्रतियों में तत्कालीन आवश्यकताओं एवं उपयोग को ध्यान में रखकर प्रकाशित की गयी थी, जिसकी एक प्रति उत्तरांचल सूचना आयोग के अनुमोदनार्थ भी प्रेषित की गयी थी, प्रारम्भ में यह विवरणिका मूलतः अधिकारियों एवं जनसामान्य के उद्देश्य से प्रकाशित की गयी थी, जिसमें अधिनियम के अनुसार निरन्तर संशोधन एवं परिवर्तन किया जाना अवश्यंभावी था। साथ ही शासन के द्वारा कालान्तर में समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यो को लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने से विवरणिका की पर्याप्त प्रतियों के प्रकाशन की आवश्यकता भी अनुभव की जाती रही है जिस कारण विवरणिका का संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है।

सूचना के अधिकार को जन सामान्य तक पहुॅचाने तथा इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सम्प्रति, इस विवरणिका का संशोधन एवं परिवर्तन के उपरान्त नवीन संस्करण जारी करते हुए निदेशालय अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहा है, कि इस सूचना विवरणिका में सम्मिलित सभी 17 मैनुअल एवं उनके अन्तर्गत प्रदत्त सामग्री जन सामान्य तथा विभागीय अधिकारियों के लिए इस आशय से अत्यन्त उपयोगी एवं सूचनाप्रद होगी कि इसके माध्यम से समस्त हितधारकों को यथोचित सूचनाऐं एवं जानकारियां एक दृष्टि में ही उपलब्ध हो सकें। विवरणिका के वर्तमान स्वरूप में सत्त सुधार की आवश्कता निरन्तर बनी रहेगी तथा एतदर्थ विभिन्न हितधारकों के सुझावों का स्वागत है जिन्हें आगामी संशोधनों में सम्मिलित किया जा सकेगा।

निदेशालय, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तरांचल डा0 आर0एस0 टोलिया जी तथा आयोग में कार्यरत समस्त अधिकारियों के प्रति सूचना विवरणिका को इस परिवर्तित स्वरूप में प्रस्तुत करने में निदेशालय के सूचना अधिकारों के सत्त मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि यह सूचना विवरणिका अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होगी।

(डा0 आर0एम0 जोशी)

निदेशक, उच्च शिक्षा
उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)

# सन्देश

सूचना के अधिकार को जन सामान्य तक पहुॅचाने तथा इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सम्प्रति, इस विवरणिका का द्वितीय संशोधन एवं परिवर्तन के उपरान्त नवीन संस्करण जारी करते हुए निदेशालय अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहा है, कि इस सूचना विवरणिका में सम्मिलित सभी 17 मैनुअल एवं उनके अन्तर्गत प्रदत्त सामग्री जन सामान्य तथा विभागीय अधिकारियों के लिए इस आशय से अत्यन्त उपयोगी एवं सूचनाप्रद होगी कि इसके माध्यम से समस्त हितधारकों को यथोचित सूचनाऐं एवं जानकारियां एक दृष्टि में ही उपलब्ध हो सकें। विवरणिका के वर्तमान स्वरूप में सत्त सुधार की आवश्कता निरन्तर बनी रहेगी तथा एतदर्थ विभिन्न हितधारकों के सुझावों का स्वागत है जिन्हें आगामी संशोधनों में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(प्रो0 एम0सी0 पाण्डे)
निदेशक, उच्च शिक्षा
उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)

# संदेश

यह अतीव प्रसन्नता का विषय है कि उच्च शिक्षा निदेशालय,हल्द्वानी वर्ष 2009–10 हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत 01 से लेकर 17 तक मैनुअल तीन भागों क्रमशः भाग–1 मैनुअल ( संख्या 01 से 04), भाग–2(घ),( मैनुअल संख्या–05) तथा भाग–03 ( मैनुअल संख्या 06 से 17)तैयार कर रहा है। आशा ही नही अपितु पूर्ण विश्वास भी है कि निदेशालय द्वारा तैयार किये जा रहे समस्त मैनुअल सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ–साथ विभाग से सूचना चाहने वालों के लिये मील का पत्थर सिद्ध होंगे।मैं चाहूँगा कि मैनुअलों में विभाग से संबंधित अधिकतम सूचनाओं का समावेश किया जाय जिससे सूचनाओं का लोकहित में प्रकटन हो सके।

दिनांकः 04 मार्च,2010

( डा0 बी0एस0 बिष्ट )

संयुक्त निदेशक,उच्च शिक्षा

उत्तराखंड,हल्द्वानी,(नैनीताल)

# अनुक्रमणिका मैनुअल 1 से 4


| क0सं0 | मैनुअल कम संख्या – 01<br>संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य एवं कर्तव्य | पेज संख्या |
|---|---|---|
| 1 | उच्च शिक्षा की संदृष्टि, ध्येय एवं लक्ष्य | 1 |
| 2 | प्रदेश में उच्च शिक्षा एक दृष्टि में | 2 |
| 3 | उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा : उदभव एवं विकास | 3 |
| 4 | उत्तराखण्ड में स्थापित विभिन्न विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान | 4 |
| 5 | उच्च शिक्षा निदेशालय के दायित्व एवं कर्तव्य | 5 |
| 6 | प्रदेश में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति एवं नवीन प्रवृत्तियॉ<br>▪ महाविद्यालयों की स्थापना एवं विकास – भूमि एवं भवन,सुदृढ़ीकरण एवं अवस्थापना विकास, शोध एवं विकास,गुणवत्ता सुनिश्चयीकरण एवं संवर्द्धन<br>▪ प्रशासन एवं प्रबन्धन, कार्मिक प्रशिक्षण<br>▪ नामांकन प्रवृत्तियॉ<br>▪ आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर स्वीकृतियॉ, प्रावधान एवं व्यय | 6 |
| 7 | वर्ष 2009–10 में प्राप्त उपलब्धियॉ | 19 |
| 8 | भावी कार्यक्रम एवं व्यूह नीतियॉ | 20 |
| 9 | उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित राजकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की सूची | 21 |
| 10 | उत्तराखण्ड राज्य में नैक से प्रत्यायनित महाविद्यालयों की सूची | 22 |
| 11 | उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित अशासकीय महाविद्यालयों की सूची | 23 |
| 12 | राजकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2003–04 एवं इसके पश्चात प्रारम्भ किये गये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची। | 25 |
| 13 | आदर्श महाविद्यालयों एवं उनमें संचालित डिग्री स्तर के व्यावसायिक पाठ्क्रमों की सूची | 27 |
| 14 | शासकीय महाविद्यालयों में बी.एड. पाठ्यक्रम की वर्तमान एवं प्रस्तावित सीटों का विवरण। | 28 |
| | **मैनुअल कम संख्या– 2**<br>**अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य** | 31 |
| | **मैनुअल कम संख्या– 3**<br>**वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं वित्तीय अधिकार निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)** | 41 |
| | **मैनुअल संख्या– 4**<br>**कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम** | 44 |

# मैनुअल क्रम सं0 – 1
# उच्च शिक्षा विभाग की संदृष्टि (VISION)

*उत्तराखण्ड को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करना, जो अपने निवासियों हेतु अत्यन्त उच्च स्तर की शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रवर्तन, कला, विज्ञान एवं संस्कृति का संपोषण, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के उच्चतम उन्नयन का सुनिश्चयन, प्रत्येक की आवश्यकतानुसार रोजगारपरक कौशलों में समुचित प्रशिक्षण के द्वारा निर्धनता एवं बेरोजगारी का उन्मूलन तथा राज्य के समेकित विकास में उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं शोध केन्द्रों की संवृद्धि और विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग हेतु एक उचित परिवेश एवं अधःसंरचना का सृजन करे।*

## उच्च शिक्षा विभाग का ध्येय (MISSION)

- माध्यमिक शिक्षा की प्राप्ति के उपरान्त युवाओं को आवश्यकता एवं मांग के अनुसार उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, उन्हें क्रीड़ाओं, सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना, शोधपरक विकास का प्रवर्तन करना।
- पारम्परिक शिक्षा के साथ–साथ पेशेवर एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित करना।
- नवोदित राज्य उत्तराखण्ड को ज्ञान के केन्द्र के रूप में विकसित कर एक जागृत, समृद्ध राज्य बनाना।
- कला, संस्कृति एवं विज्ञान का विकास युवावर्ग के व्यक्तित्व, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में निश्चित रूप में सहायक होगा, जिसमें सूचना एवं तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका एवं स्थान होगा।
- उत्तराखण्ड के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, जिससे वह वैश्विक चुनौतियों का बेहतर रूप में सामना कर सके।

## उच्च शिक्षा विभाग के उद्देश्य (GOALS)

- 14 वर्ष तक की उम्र के समस्त बालक एवं बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक दायित्व के अनुक्रम में उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना तथा सभी योग्य विद्यार्थियों को पेशेवर शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।
- नवोदित ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिये शिक्षित एवं कौशल युक्त प्रशिक्षित मानव संपदा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना।
- राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिये रोजगरपरक कौशलों में और प्रौढ़ एवं रोजगार प्राप्त कर्मचारियों के कौशल विकास में अभिवृद्धि हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शोध हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में निजी विनियोग को आकर्षित करना।

# प्रदेश में उच्च शिक्षा एक दृष्टि में

**मार्च,2010**

**विश्वविद्यालयों / अखिल भारतीय तकनीकी संस्थानों की संख्या :**

- केन्द्रीय विश्वविद्यालय–01
- राज्य विश्वविद्यालय– 05
- निजी विश्वविद्यालय – 05
- डीम्ड विश्वविद्यालय – 04
- कृशि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय – 01
- केन्द्रीय तकनीकी संस्थान / आई0आई0टी0 – 01
- अन्य संस्थान – 01

**सामान्य उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या – 01**

**सामान्य उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या – 01**

**विश्वविद्यालय परिसरों सहित महाविद्यालयों की संख्या – 107**

- विश्वविद्यालय परिसर – 05
- शासकीय महाविद्यालय – 67
- अशासकीय महाविद्यालय – 37
- स्नातकोत्तर महाविद्यालय – 21
- स्नातक महाविद्यालय – 83

## महत्वपूर्ण विकास संकेतक

| क्र0 सं0 | विवरण | संकेतांक | |
|---|---|---|---|
| | | 07–08 | 08–09 |
| 1. | प्रति लाख जनसंख्या पर महाविद्यालयों की संख्या | 1.26 | 1.28 |
| 2. | प्रति हजार वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल में महाविद्यालयों की संख्या | 2.00 | 2.03 |
| 3. | नामांकित विद्यार्थियों की संख्या | 137837 | 152471 |
| 4. | कुल जन संख्या के प्रतिशत के रूप में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों का अनुपात | 1.56 | 1.79 |
| 5. | 17–24 आयु वर्ग में सम्मिलित राज्य की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों का अनुपात | 10.87 | 9.11 |
| 6. | प्रदेश में प्रति महाविद्यालय आच्छादित जनसंख्या | 79336 | 7788 |
| 7. | प्रदेश में प्रति महाविद्यालय 17–24 आयु वर्ग की आच्छादित जन संख्या | 11855 | 10224 |
| 8. | प्रति महाविद्यालय विद्यार्थियों की औसत संख्या (कुल महावि0 – 107) | 1288 | 1398 |
| 9. | शासकीय/अशाकीय महाविद्यालयों में प्रति विद्यार्थी वास्तविक व्यय (रू0 में) | 5989 | 6388 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. | शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक / विद्यार्थी अनुपात (रिक्त पदों सहित) | 1: 62.9 | 1:66:1 |
| 11. | शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक / विद्यार्थी अनुपात (रिक्त पदों को छोड़कर) | 1:1281 | 1:86:8 |

## 3
## उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा : उद्‌भव एवं विकास

उच्च शिक्षा के प्रति उत्तराखण्ड के निवासियों का प्रारम्भ से ही रूझान रहा है, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्डवासियों द्वारा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर राश्ट्रीय स्तर पर राजनीति, नौकरशाही, सेना, विज्ञान एवं तकनीकी, जनसंचार,शोध इत्यादि क्षेत्रों में गरिमामय उपस्थिति एवं योगदान में प्रतिबिम्बित होती है। प्रदेश में ही उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों– सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी इत्यादि में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना स्वातन्त्रयोत्तर काल में हुई, किन्तु उच्च शिक्षा का वास्तविक प्रसार सत्तरादि के दशक से प्रारम्भ हुआ, जबकि असेवित एवं दूर दराज के क्षेत्रों में महाविद्यालयों की स्थापना बड़े पैमाने पर हुई ताकि कमजोर आर्थिक स्थिति एवं विशम भौगोलिक परिस्थितियों की विशिष्ट स्थिति में उच्च शिक्षा के अवसरों तक सामान्य जनता की पहुॅच सुलभ बनाई जा सके। राज्य गठन से पूर्व महाविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी तथा उच्च शिक्षा की वर्तमान संरचना राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न नवीन चुनौतियों एवं अवसरों के साथ समायोजन करने में असमर्थ थी। राज्य गठन के पश्चात शासन द्वारा उच्च शिक्षा के प्रसार तथा गुणवत्ता के सुनिश्चयीकरण हेतु बजट में निरन्तर अधिक धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा उच्च शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी तथा नवोन्मेशों का उपयोग प्रारम्भ हुआ। प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रगति को निम्नांकित 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः–

### उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा की प्रगति

(क) **प्रवर्तन एवं प्रारम्भिक विकास की अवस्था : (1970 से पूर्व)**

- डी0ए0वी0 अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना (1946)
- रूड़की इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना (1949)
- प्रथम शासकीय महाविद्यालय डी0एस0बी0 महाविद्यालय, नैनीताल की स्थापना (1951)
- अल्मोड़ा कालेज अल्मोड़ा की स्थापना (1954)
- एम0के0पी0 कालेज देहरादून की स्थापना (1958)
- पं0 गो0 बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर की स्थापना (1960)

(ख) **प्रसार एवं समृद्धि की अवस्था : (राज्य गठन से पूर्व)**

- सत्तरादि के दशक में 15, अस्सी आदि के दशक में 05 तथा नब्बे आदि के दशक में 09 शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना, तथा 03 अशासकीय महाविद्यालयों – हल्द्वानी, अल्मोड़ा एवं काशीपुर के प्रान्तीयकरण से शासकीय महाविद्यालयों की संख्या 34 हुई।
- संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तराखण्ड के कार्यालय की हल्द्वानी में स्थापना (1996)
- कुमायूॅ, गढ़वाल तथा दो डीम्ड विश्वविद्यालयों (हरिद्वार एवं देहरादून) की स्थापना

(ग) **तीव्र प्रसार एवं सम्बृद्धि तथा गुणवत्ता सुनिश्चयीकरण के प्रति चेतना की अवस्था : (राज्य गठन के पश्चात)**

- उच्च शिक्षा के संवर्द्धन, आधुनिकीकरण, विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय की हल्द्वानी में स्थापना (2001)
- शासन स्तर पर समन्वयकारी भूमिका के निर्वहन एवं अशासकीय महाविद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु देहरादून में उच्च शिक्षा निदेशक (शिविर कार्यालय) की स्थापना की गई, जिसमें उपनिदेशक (शिविर कार्यालय) का कार्य संचालन प्रारम्भ (2002)।
- स्ववित्त पोषित महाविद्यालय देवप्रयाग का प्रान्तीयकरण तथा चन्द्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय, काशीपुर अनुदान सूची में सम्मिलित। वर्ष 2001–02 में 15, 2003–04 में 01, 2004–05 में 02 तथा 2005–06 में 02 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना।
- वर्ष 2006–07 में 10 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना।

उत्तराखण्ड में स्थापित विभिन्न विश्वविद्यालय/ तकनीकी संस्थान

**(अ) केन्द्रीय विश्वविद्यालय** :

| क्र0सं0 | विश्वविद्यालय | स्थापना वर्ष |
|---|---|---|
| 1 | केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)। | 15 जनवरी,2009 |

**(ब) राज्य विश्वविद्यालय :**

| क्र0सं0 | विश्वविद्यालय | स्थापना वर्ष |
|---|---|---|
| 1 | कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल | 1973 |
| 2 | उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार | 2005 |
| 3 | उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी | 2005 |
| 4 | दून विश्वविद्यालय, देहरादून | 2005 |
| 5 | उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून। | 2005 |

**(स) निजी विश्वविद्यालय :**

| क्र0सं0 | विश्वविद्यालय | स्थापना वर्ष |
|---|---|---|
| 1 | देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शान्तिकुंज, हरिद्वार। | 2002 |
| 2 | पेट्रोलियम एंव ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, देहरादून। | 2003 |
| 3 | हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय, देहरादून। | 2003 |
| 4 | इक्फाई विश्वविद्यालय, देहरादून। | 2003 |
| 5 | पतन्जली विश्वविद्यालय, हरिद्वार। | 2007 |

**(द) डीम्ड विश्वविद्यालय :**

| क्र0सं0 | विश्वविद्यालय | स्थापना वर्ष |
|---|---|---|
| 1 | गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार। | 1962 |
| 2 | वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून। | 1991 |
| 3 | हिमालयन इंस्टीट्यूट, देहरादून। | 2007 |
| 4 | ग्राफिक एरा इन्स्टीटयूट | 2008 |

**(य) कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय :**

| क्र0सं0 | विश्वविद्यालय | स्थापना वर्ष |
|---|---|---|
| 1 | जी0वी0 पन्त कृषि एंव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर। | 1960 |

**(र) आई0आई0टी0**

| क्र0सं0 | विश्वविद्यालय | स्थापना वर्ष |
|---|---|---|
| 1 | आई0आई0टी0 रुड़की | 2001 |

**(ल) अन्य सस्थान**

| क्र0सं0 | संस्थान | स्थापना वर्ष |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | संस्कृत अकादमी, हरिद्वार। | 2003 |



## उच्च शिक्षा निदेशालय के दायित्व एवं कर्तव्य

- प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्रबन्धन, नियन्त्रण तथा उनके कार्यों का दायित्व।
- प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शासकीय व्यवस्था के माध्यम से वेतन वितरण एवं उससे सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक कार्य तथा समय –समय पर पुननीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण।
- अध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों तथा आने वाले शिक्षा सत्र के दौंरान सम्बन्धित रिक्तियों की सूचना महाविद्यालयों से प्राप्त करना तथा सूचित रिक्तियों की विषयवार समेकित सूची आयोग को विज्ञापन एवं चयन हेतु प्रेषित करना।
- भविष्यनिधि से अग्रिम की स्वीकृति।
- सेवानिवृत्ति पर भविष्यनिधि में जमा अन्तिम देय धनराशि की स्वीकृति।
- उच्च शिक्षा से सम्बन्धित न्यायालयीय वाद सम्बन्धी कार्य ।
- शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों के अभिलेखों का मुख्यालय की आडिट ईकाई द्वारा आन्तरिक सम्प्रेक्षण।

# प्रदेश में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति एवं नवीन प्रवृत्तियां
## महाविद्यालयों की स्थापना एवं विकास

सम्प्रति प्रदेश में सामान्य उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले दो विश्वविद्यालय – कुमायूँ एवं गढ़वाल हैं जिनके अपने पॉच विश्वविद्यालय परिसरों के अतिरिक्त शेष समस्त 102 महाविद्यालय सम्बद्व महाविद्यालय हैं। इनमें 64 गढ़वाल विश्वविद्यालय से तथा शेष 38 कुमायूँ विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालय हैं। 10 वीं पंचवर्षीय योजना में महाविद्यालयों के असेवित क्षेत्रों में तेजी के साथ स्थापना के पश्चात अब राज्य में प्रत्येक 79336 की जनसंख्या पर एक महाविद्यालय उपलब्ध हो गया है, जबकि राज्य में महाविद्यालयों में प्रवेशार्थी लक्ष्य समूह 17 – 24 आयु वर्ग की जनसंख्या के आधार पर 11855 की जनसंख्या पर एक महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। इस आयु वर्ग में नामांकित विद्यार्थियों का अनुपात 10.87 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 6.27 प्रतिशत (2003) से अधिक है। तालिका सं0 – 01 से स्पष्ट है कि हाल के वर्षों में राज्य में महाविद्यालयों के सन्तुलित क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता दी गयी है। फलस्वरूप राज्य में जनपदवार महाविद्यालयों का औसत लगभग 8.23 हो गया है तथा प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 03 महाविद्यालय उपलब्ध हो गये हैं। यह उल्लेखनीय है कि मैदानी भौगोलिक पृष्ठभूमि के जनपदों में अशासकीय महाविद्यालयों के अपेक्षाकृत अधिक संकेन्द्रण को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से अधिकांशतः असेवित क्षेत्रों में शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना को प्राथमिकता प्रदान की गयी है। तालिका संख्या–02 से स्पष्ट है कि कुल 65 शासकीय महाविद्यालयों में से 51 (78.4 %) पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थित 11 जनपदों में स्थापित हैं जबकि 37 अशासकीय महाविद्यालयों में 32 (86.49%) मैदानी भौगोलिक पृष्ठभूमि के 03 जनपदों में स्थापित हैं। यही नही, उच्च शिक्षा के विविधीकरण एवं विशिष्टीकरण (Diversification & specialisation) दोनों ही दिशाओं में प्रयास किये गये हैं। फलस्वरूप एक ओर महाविद्यालयों में नवीन एवं रोजगारपरक विषय प्रारम्भ किये गये हैं, वही दूसरी ओर विशिष्ट क्षेत्रों – विधि, संस्कृत इत्यादि में पृथक महाविद्यालयों की स्थापना भी की गयी है। बालिकाओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहित करने हेतु पृथक महिला महाविद्यालय, हल्द्वानी में स्थापित है जबकि अन्य समस्त सह शिक्षा महाविद्यालयों में भी उन्हें शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गयी है। उत्तराखण्ड में भौगोलिक दुरूहता एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की स्थानीय कठिनाईयों के सन्दर्भ में उच्च शिक्षा में पहुॅच एवं समता हेतु भौगोलिक संकेतक अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी समझे गये हैं। इस दृष्टि से उत्तराखण्ड में सम्प्रति उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले महाविद्यालयों की संख्या प्रति हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2.00 हो गयी है, जबकि राज्य गठन के समय यह संख्या मात्र 0.64 थी। स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा में पहुॅच एवं समता (Access & Equity) को सुविधाजनक रूप में बढ़ाने का लक्ष्य राज्य में महत्वपूर्ण रूप में प्राप्त किया गया है।

**तालिका संख्या – 01**
**उत्तराखण्ड में महाविद्यालयों का जनपदवार वितरण**

| नाम | शासकीय | अशासकीय | | | वि0वि0 | महायोग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनु0 | अनानु0 | योग | परिसर | |
| **कुमॉयू मण्डल** | | | | | | |
| नैनीताल | **5** | - | 1 | **1** | 1 | **7** |
| बागेश्वर | **3** | - | - | | | **3** |
| अल्मोड़ा | **9** | 1 | - | **1** | 1 | **11** |
| पिथौरागढ़ | **6** | - | - | | | **6** |
| चम्पावत | **3** | - | - | | | **3** |
| उधमसिंह नगर | **4** | 1 | 5 | **6** | | **10** |
| **योग कुमाऊॅ मण्डल** | **30** | **2** | **6** | **8** | **2** | **40** |
| **गढ़वाल मण्डल** | | | | | | |
| पौड़ी गढ़वाल | **8** | - | 2 | **2** | 2 | **12** |
| चमोली | **7** | - | - | **-** | - | **7** |
| रूद्रप्रयाग | **3** | - | - | **-** | - | **3** |
| उत्तरकाशी | **4** | - | - | **-** | - | **4** |
| टिहरी गढ़वाल | **9** | - | 1 | **1** | 1 | **11** |
| देहरादून | **5** | 6 | 5 | **11** | - | **16** |
| हरिद्वार | **1** | 7 | 8 | **15** | - | **16** |
| **योग गढ़वाल मण्डल** | **37** | **13** | **16** | **29** | **3** | **69** |
| **योग उत्तराखण्ड** | **67** | **16** | **21** | **37** | **5** | **109** |

## भूमि एवं भवन :

उत्तराखण्ड राज्य गठन के समय प्रदेश में 34 राजकीय महाविद्यालय संचालित थे जिनमें कतिपय महाविद्यालयों के अपने भवन नही थे, किंतु वर्तमान में महाविद्यालयों की संख्या बढकर 67 हो गयी है। अधिकांश महाविद्यालयों के पास अपना भूमि एवं भवन है किन्तु कपकोट, कॉडा, गंगोलीहाट, टनकपुर, चौखुटिया, कोटाबाग, सतपुली,रूद्रप्रयाग, चिन्यालीसौंण तथा नरेन्द्र नगर,सोमेश्वर,मुन्स्यारी,रिखणीखाल तथा थत्यूड महाविद्यालयों के पास अपनी भूमि नही है। लक्सर, बलुवाकोट, गरूड़ाबॉज बड़कोट, नैनबाग, दोशापानी, चकराता, त्यूनी, भिक्यासेंण,नागनाथ पोखरी तथा थलीसेंण महाविद्यालयों के पास अपनी भूमि है किन्तु भवन नहीं हैं। सम्प्रति राजकीय महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत इनके भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। इस सम्बन्ध में राजकीय महाविद्यालयों में भूमि/भवन की अद्यतन स्थिति निम्नवत है।

**महाविद्यालयों की संख्या – 67**

- ऐसे महाविद्यालय जिनके अपने निर्मित भवन हैं – 36
- ऐसे महाविद्यालय जिनके भवन लगभग पूर्ण हो चुके हैं किन्तु
- जिनके भवन हस्तान्तरित होने हैं – 02
- ऐसे महाविद्यालय जिनके भवन निर्माणाधीन हैं – 04
- ऐसे महाविद्यालय जिनके अपने भवन नही हैं – 25
- ऐसे महाविद्यालय जिनके पास अपनी भूमि है – 11

**8**

**तालिका संख्या – 02**

**उत्तराखण्ड में महाविद्यालयों का भौगोलिक क्षेत्रवार वितरण***

| क्षेत्र / महाविद्यालय | शासकीय | अशासकीय | | | महायोग |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अनु0 | अनानु0 | योग | |
| **पर्वतीय क्षेत्र** | | | | | |
| स्नातक महाविद्यालय | **43** | **2** | **3** | **5** | **48** |
| स्नातकोत्तर महाविद्यालय | **9** | **-** | **-** | **-** | **9** |
| विधि महाविद्यालय | **1** | **-** | **-** | **-** | **1** |
| **योग पर्वतीय क्षेत्र** | **53** | **2** | **3** | **5** | **58** |
| **मैदानी क्षेत्र** | | | | | |
| स्नातक महाविद्यालय | **7** | **6** | **18** | **24** | **31** |
| स्नातकोत्तर महाविद्यालय | **7** | **8** | **-** | **8** | **15** |
| विधि महाविद्यालय | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **योग मैदानी क्षेत्र** | **14** | **14** | **18** | **32** | **46** |
| **सम्पूर्ण उत्तराखण्ड** | | | | | |
| स्नातक महाविद्यालय | **50** | **8** | **21** | **29** | **79** |
| स्नातकोत्तर महाविद्यालय | **16** | **8** | **-** | **8** | **24** |
| विधि महाविद्यालय | **1** | **-** | **-** | **-** | **1** |
| **महायोग** | **67** | **16** | **21** | **37** | **104** |

**विश्वविद्यालयों के 05 परिसरों को छोड़कर।**

## सुदृढ़ीकरण एवं अवस्थापना विकास :–

महाविद्यालयों के संख्यात्मक विकास के साथ–साथ उनके विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण को भी राज्य गठन के पश्चात प्राथमिकता दी गयी है जिसके लिए प्रयोगशाला, उपकरणों, पुस्तकालयों का रख–खाव पुस्तकों एवं फर्नीचर आदि क्रय हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाना सम्मिलित है। शासकीय महाविद्यालयों के मात्रात्मक विस्तार से इनके सुदृढ़ीकरण एवं गुणवत्ता उन्नयन हेतु प्राप्त बजट पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हुआ है। तालिका संख्या–03 से स्पष्ट है कि शासकीय महाविद्यालयों में 34 में केवल एक ही संकाय की सुविधा है, जबकि 38 महाविद्यालयों में 10 विषयों में ही अध्ययन की सुविधा उपलब्ध हो पायी है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर कक्षायें केवल 18 महाविद्यालयों में संचालित हो रही हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के गुणवत्ता संरक्षण एवं संवर्द्धन के क्षेत्र में कार्यरत यू0जी0सी0 एवं नैक जैसी संस्थायें महाविद्यालयों में निरन्तर पाठ्यक्रम एवं विषयों के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने पर जोर देती रही हैं। साथ ही नवस्थापित महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों, छात्रावासों तथा क्रीड़ा एवं अन्य शिक्षणेत्तर गतिविधियों के आयोजनार्थ अवस्थापना सुविधाओं की समुचित व्यवस्था भी अपरिहार्य है। इस दृष्टि से भी स्थापित महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण की योजना हेतु उच्चतर परिव्यय का औचित्य सिद्व होता है। इसके अतिरिक्त इस दिशा में निम्नांकित कदम भी उठाये गये हैं :

तालिका संख्या – 03

**शासकीय महाविद्यालयों में संकायवार तथा स्नातक/स्नातकोत्तर विषयवार महाविद्यालयों की संख्या**

| संकायों की संख्या | विषय | स्नातक विषयों की संख्या | | | | | | | स्नातकोत्तर विषयों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | योग | 1-5 | 6-10 | 11-15 | योग |
| | 1 | 8 | 3 | 24 | 1 | | | **36** | 2 | | | **2** |
| | **2** | | | 4 | 6 | | | **10** | 2 | 1 | | **3** |
| | **3** | | 1 | | 7 | 9 | | **17** | 1 | 4 | 6 | **11** |
| | **4** | | | | | 1 | 3 | **4** | | | 2 | **2** |
| **योग** | | **8** | **4** | **28** | **14** | **10** | **3** | **67** | **5** | **5** | **8** | **18** |

**व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालनः–**

उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप 24 महाविद्यालयों में परम्परागत विषयों के साथ–साथ इको टयूरिज्म,फार्मेशी, नर्सरी टैक्नोलॉजी एण्ड ऑरचर्ड मैनेजमेंट, इन्टीरियर एण्ड एक्सटीरियर डेकोरेशन, फिश टैक्नोलॉजी, जर्नलिज्म एण्ड मॉस कम्यूनिकेशन, पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन, एडवरटाइजिंग आदि में 06 माह की अवधि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम तथा एक वर्षीय डिप्लोमा के रोजगारपरक/व्यावसायिक रोजगार परक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ठ संख्या–06 में प्रदत्त है। साथ ही 10 शासकीय महाविद्यालयों – रूद्रपुर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, कोटद्वार, काशीपुर, गोपेश्वर, रानीखेत, रामनगर, हल्द्वानी तथा ऋषिकेश में वानिकी एवं वन्य जन्तु प्रबन्धन, पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन, एडवरटाईजिंग, सेल्स प्रमोशन एण्ड सेल्स मैंनेजमेंन्ट, फिशरीज, फौरेस्टरी एवं वाइल्ड लाईफ मैंनेजमेंन्ट, बायोलॉजिकल टैक्नीक्स एवं स्पेसिमैंन प्रिप्रेशन, मृदा संरक्षण एवं जलागम प्रबन्धन, औद्योगिक रसायन, ऑफिस मैंनेजमेंन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस, फौरेन ट्रेड प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम यू0जी0सी0 के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 2008–09 में 6 अन्य महाविद्यालयों में नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त 09शासकीय महाविद्यालयों में एवं 03 अशासकीय महाविद्यालयों में इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से कई स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

**पारंपरिक तथा खुली एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के एकीकरण की कनवर्जेंस योजना।**

उच्च शिक्षा को समाज के वंचित वर्गो तक पहुंचाने तथा साथ ही इसकी गुणवत्ता के संवर्द्धन के उददेश्य से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की शीर्षस्थ नियामक संस्था दूरस्थ शिक्षा परिषद (डिस्टेन्स एजूकेशन काउन्सिल) नई दिल्ली के निर्देशन में प्रारम्भ की गई इस योजना में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) तथा पारंपरिक शिक्षण संस्थानों की परस्पर सहभागिता से इग्नू के गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रमों को जन–जन तक सुलभ कराया जा रहा है। इस योजना से इग्नू के द्वारा उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण पाठ्यसामग्री, उच्च शिक्षण में सैटेलाइट एवं ऑन लाइन एजूकेशन जैसी नवीनतम तकनीकी के प्रयोग तथा पारंपरिक उच्च शिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षक–विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष अन्तः क्रियात्मक विधि इत्यादि को एक साथ लाया जा सकेगा, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तीन महत्वपूर्ण उददेश्यों– पहुॅच, (Access) समता (Equity) तथा गुणवत्ता (Quality) की प्राप्ति सुनिश्चित हो सकेगी।इस योजना के प्रारंभिक वर्ष में दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा संबंधित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को रू0– 4 लाख का अनावर्तक अनुदान तथा पहले तीन वर्षो तक रू0–3 लाख का आवर्तक अनुदान उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है। सहभागी संस्थान को विभिन्न उपलब्ध माडलों के अन्तर्गत कार्यक्रम शुल्क का एक निश्चित भाग अपनी आय के रूप में कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्रयोग में लाये जाने की भी व्यवस्था है।इस योजना में यू0जी0सी0 की धारा 2 (एफ) अथवा धारा (3) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त समस्त विश्वविद्यालयों , मान्यता प्राप्त पेशेवर संस्थानों तथा स्थापित शैक्षणिक ट्रैक रिकार्ड वाले संबद्ध महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों को सम्मिलित किया जा

रहा है। अब तक अखिल भारतीय स्तर पर सम्मिलित किए गये 185 संस्थानों में उत्तराखण्ड राज्य के आच्छादित संस्थानों का विवरण अग्रांकित तालिका में प्रदर्शित है।

**10**

**दूरस्थ शिक्षा परिषद् नई दिल्ली की 'कन्वर्जेंस' (Convergence) योजना के अन्तर्गत आच्छादित उत्तराखण्ड के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय–**

| क्रम सं0 | महाविद्यालय का नाम | शासकीय/ अशासकीय | प्रारम्भ का वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ | शासकीय | 2009 |
| 2 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट (चम्पावत) | शासकीय | 2009 |
| 3 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर | शासकीय | 2009 |
| 4 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर (नैनीताल) | शासकीय | 2009 |
| 5 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर (उधमसिंह नगर) | शासकीय | 2009 |
| 6 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी | शासकीय | 2009 |
| 7 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर (चमोली) | शासकीय | 2009 |
| 8 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरिखाल (पौड़ी) | शासकीय | 2009 |
| 9 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर | शासकीय | 2009 |
| 10 | डी0ए0बी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय देहरादून | शासकीय | 2008 |
| 11 | एम0के0पी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय देहरादून | शासकीय | 2008 |
| 12 | राजकीय महिला महाविद्यालय,हल्द्वानी | शासकीय | 2009 |

## आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना :

प्रत्येक जनपद में एक महाविद्यालय को आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित किये जाने की योजना के अन्तर्गत अब तक 13 महाविद्यालय आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित किये गये है। आदर्श महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को समयानुकूल बनाने तथा महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयोगशाला एवं शिक्षण कक्षों का निर्माण, जिम्नेजियम एवं छात्रावास व्यवस्था, आधुनिकतम प्रयोगशाला उपकरणों, पुस्तकों एवं फर्नीचर का क्रय तथा एक–एक डिग्री स्तरीय रोजगारपरक पाठ्यक्रम–औद्यानिकी, बायोटेक्नॉलोजी, मेडिकल लैब टेक्नॉलोजी, बी0बी0ए0 इत्यादि प्रारम्भ किये गये हैं। आदर्श महाविद्यालयों एवं उनमें संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विवरण परिशिष्ट– 9 में प्रदर्शित है।

## उच्च शिक्षा में सूचना एवं कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी का समावेश

- शिखर परियोजना के अन्तर्गत 500 से अधिक छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों में शिक्षा प्रदाताओं द्वारा एवं 500 से कम छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों में शासन द्वारा कम्प्यूटर प्रयोगशालायें स्थापित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 29 शासकीय एवं 04 अशासकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोशालायें स्थापित की गयी हैं। सम्प्रति 49 शासकीय एवं 14 अशासकीय महाविद्यालयों में शिखर परियोजना संचालित हो रही हैं।
- उत्तराखण्ड राज्य को सूचना तकनीकी में समुन्नत करने की सरकार की नीति के अन्तर्गत उच्च शिक्षा को ई–लर्निंग की अवधारणा का रूप दिये जाने हेतु एजुकेशन सेटेलाईट (EDUSAT) के माध्यम से अध्ययन/अध्यापन हेतु प्रयोगशालाओं की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है, तथा उपयोगार्थ कार्यवाही गतिमान किये जाने के प्रयास इग्नू/इसरो के सहयोग से किये जा रहे हैं।
- राजकीय महाविद्यालय उत्तकाशी और पिथौरागढ़ में सिस्को एकेडमी स्थापित की गयी है, तथा उत्तरकाशी में सी0सी0एन0ए0 पाठ्क्रम संचालित हो गया है।

## शोध एवं विकास :

राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों में प्रोत्साहित करने, शोध कार्यों के प्रकाशन और शोध में रूचि बढ़ाने के उद्देश्य से एक मंच/ संस्था एकेडेमिका (उच्च शिक्षा उन्नयन एवं शोध विकास समिति) की स्थापना की गयी है जिसका द्वितीय अधिवेशन 2005–06 में ऋषिकेश में आयोजित हुआ जिसमें प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापकों द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किये

गये। एकेडेमिका का आगामी अधिवेशन तथा संगोष्ठी ''Transition to knowledge society: opportunities and challenges'' विषय पर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में



मार्च 15 एवं 16 2009 को प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में यू0जी0सी0/आई0सी0ए0आर0/डी0एस0टी0 द्वारा प्रायोजित शोध परियोजनाऐं भी गतिमान हैं। 16 महाविद्यालयों में कला विज्ञान व वाणिज्य संकायों में क्रमशः 132, 54, व 23 विद्यार्थी (100 पुरूष एवं 109 महिलाऐं) पी–एच0डी0 के लिए पंजीकृत हैं शासकीय महाविद्यालयों में स्थापना से अब तक कुल 462 विद्यार्थियों ने पी–एच0डी0 उपाधि प्राप्त की है। वर्ष 2007–08 में शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिकाओं में 220 शोध पत्रों के प्रकाशन के साथ–साथ कार्यशालाओं व गोष्ठियों में 290 शोध पत्रों का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। संप्रति प्रदेश के 16 शासकीय महाविद्यालयों में 61 शोध परियोजनाऐं भी संचालित हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008–09 में 03 नैक कार्यशालाऐं आयोजित हुई।

## गुणवत्ता सुनिश्चयीकरण एवं संवर्धन :

राज्य गठन के पश्चात गुणवत्ता सुनिश्चयीकरण हेतु महाविद्यालयों को नैक के द्वारा मूल्यांकन एवं प्रत्यायन कराने का कार्य भी तीव्र गति से आरम्भ हुआ है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक महाविद्यालय जो यू0जी0सी0 की धारा–2(एफ)एवं 12 बी द्वारा प्रमाणित है, में नैक स्टीयरिंग कमेटी की स्थापना की गयी है तथा मूल्यांकित महाविद्यालयों में आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयीकरण प्रकोष्ठ (IQAC) की स्थापना हुई है। अब तक 15 शासकीय एवं 07 अशासकीय महाविद्यालयों का राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा मूल्यांकन किया जा चुका है। मानिला, कर्णप्रयाग, तलवाड़ी, नई टिहरी, चम्पावत, डाकपत्थर, हल्द्वानी (महिला) तथा देवप्रयाग महाविद्यालयों को यू0जी0सी0 की धारा 2(एफ)/12(बी) के अन्तर्गत विभाग के सक्रिय प्रयास से मान्यता प्राप्त होने तथा वर्ष 2008–09 में राजकीय महाविद्यालय जैंती को मान्यता प्राप्त होने के पश्चात वर्तमान में 28 शासकीय एवं 14 अशासकीय महाविद्यालयों यू0जी0सी0 की मान्यता से आच्छादित हैं जिनका मूल्यांकन नैक से कराये जाना प्रस्तावित है। महाविद्यालयों में इसके लिए आवश्यक चेतना उत्पन्न करने के उद्देश्य से अब तक निदेशालय स्तर पर स्थापित राज्य गुणवत्ता सुनिश्चयीकरण प्रकोष्ठ द्वारा 07 कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है।

### तालिका संख्या–04

**उत्तराखण्ड के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की प्रगति**

| विवरण | शासकीय | अशासकीय | योग |
|---|---|---|---|
| महाविद्यालयों की कुल संख्या | 67 | 37 | 104 |
| यू0जी0सी0 2 (एफ) एवं 12 (बी0) से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय | 28 | 14 | 42 |
| नैक से प्रत्यायनित महाविद्यालय | 16 | 07 | 23 |
| यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय जिनके प्रत्यायन की प्रक्रिया गतिमान है | 11 | 06 | 17 |

वर्ष 2008–09 में राज्य स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ द्वारा निम्नांकित सेमिनार/वर्कशापों एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया :

- 16 जुलाई 2008 को निदेशालय में महाविद्यालय के प्राचार्यों की एक जागरूकता बैठक का आयोजन जिसमें 32 महाविद्यालयों द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद बंगलौर के प्रभारी निदेशक प्रो0 रविचन्द्रन रैड्डी तथा उप–सलाहकार बी0एस0 मधुकर द्वारा स्वयं प्रतिभागियों को मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की नवीन विधि की जानकारी प्रदान की गयी।
- 17–18 अक्टूबर, 2008 को निदेशालय में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके प्रथम दिवस में प्रदेश के गैर –प्रत्यायनित महाविद्यालयों तथा दूसरे दिन प्रत्यायनित महाविद्यालयों के प्राचार्यों /नैक प्रभारियों के द्वारा अपने–अपने महाविद्यालयों में प्रत्यायन

/पुनः प्रत्यायन के सम्बन्ध में हुई प्रगति तथा विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। कार्यशाला का उद्घाटन पूर्व निदेशक प्रो0 पी0सी0 बाराकोटी द्वारा किया गया। इस अवसर पर राज्य गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोश्ठ द्वारा प्रकाशित वार्षिक न्यूज लैटर ''क्वालिटी'' का विमोचन भी किया गया।

**12**

- 30 दिसम्बर, 2008 को निदेशालय तथा बी0एस0एम0 अशासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रूड़की हरिद्वार के संयुक्त तत्वावधान में रूड़की में गढ़वाल मंडल के महाविद्यालयों की एक दिवसीय संगोष्ठी /कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो0 राणा, उपनिदेशक प्रो0 एस0सी0 साह, सहायक निदेशक डा0 एल0डी0 पलरिया तथा नैक प्रभारी डा0 सी0डी0 सूंठा ने भी प्रतिभागिता की । इस संगोष्ठी में आयोजक महाविद्यालय की स्व–मूल्यांकन रिर्पोट का प्रस्तुतीकरण भी किया गया तथा मूल्यांकन की नवीन विधि पर प्रस्तुतीकरण प्रदर्शित किये गये।

**प्रशासन एवं प्रबन्धः**

प्रदेश के महाविद्यालयों के सम्यक विकास एवं उन पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से प्रदेश में उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना वर्ष 2001 में की गयी थी। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से सम्बन्धित वित्तीय कार्यों के सम्पादन हेतु एवं उन पर प्रभावी नियन्त्रण रखने तथा उच्च शिक्षा निदेशालय का शासन से समन्वय रखने के उद्देश्य से देहरादून में निदेशक शिविर कार्यालय की स्थापना की गयी है, जिसका संचालन सम्प्रति उपनिदेशक द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय के दायित्व एवं कर्तब्य परिशिष्ट संख्या – 01 में प्रदर्शित हैं। सम्प्रति निदेशालय में 45 पद स्वीकृत हैं, जिसमें निदेशालय में नवीन स्वीकृत ढ़ॉचे के पश्चात् 02 पूर्व स्वीकृत पदों की समाप्ति तथा 22 नये पदो के सृजन के फलस्वरूप अब 65 स्वीकृत पद हो गये हैं। इनसे सम्बन्धित प्रशासनिक ढांचा *चार्ट संख्या–02* में प्रदर्शित है।

**शासकीय महाविद्यालयों में सृजित पदों की वार्षिक प्रवृत्तियां :**

राज्य गठन के पश्चात महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि तथा स्थापित महाविद्यालयों में नये संकायों एवं विषयों के खोले जाने से पदों के सृजन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। *तालिका सं0–04* से *स्पष्ट* है कि 2001–2006 की अवधि में कुल पदों में 658 पदों की वृद्धि हुई जिसमें सर्वाधिक वृद्धि 2003–04 में तथा इसके पश्चात 2006–07 में हुई है।

***तालिका संख्या – 05***

**उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों /कर्मचारियों के विगत वर्षों में पदों की संख्या (2001–2009)**

| वर्ष | राजपत्रित | अराजपत्रित | योग | पूर्व वर्श के सापेक्ष % वृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| 2001–2002 | 918 | 795 | 1713 | – |
| 2002–2003 | 926 | 808 | 1734 | 1.23 |
| 2003–2004 | 1032 | 932 | 1964 | 13.26 |
| 2004–2005 | 1102 | 996 | 2098 | 6.82 |
| 2005–2006 | 1135 | 1023 | 2158 | 2.85 |
| 2006–2007 | 1282 | 1099 | 2381 | 10.33 |
| 2007–2008 | 1282 | 1099 | 2381 | – |
| 2008–09 | 1321 | 1164 | 2485 | 1.01 |
| 2009–10 मार्च तक | 1327 | 1173 | 2500 | 0.604 |

समस्त राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अद्यतन स्वीकृत/रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत् है। महाविद्यालयों का प्रशासनिक ढांचा *चार्ट सं0–03* में प्रदर्शित है।

***तालिका संख्या – 06***

**राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अद्यतन स्वीकृत/रिक्त पदों की स्थिति (मार्च,2010 तक)।**

| | कुल स्वीकृत पद | कार्यरत | रिक्त पद |
|---|---|---|---|
| प्राचार्य (स्नातक/स्नातकोत्तर) | 63 | 63 | शून्य |

| | | | |
|---|---|---|---|
| शिक्षक | 1253 | 568 | 685* |
| शिक्षणेत्तर कर्मचारी | 1119 | 716 | 403 |

*शिक्षकों के रिक्त पदों पर अल्पकालिक वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत 366 विजिटिंग तथा संविदा शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है।



## उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड का प्रशासनिक ढांचा

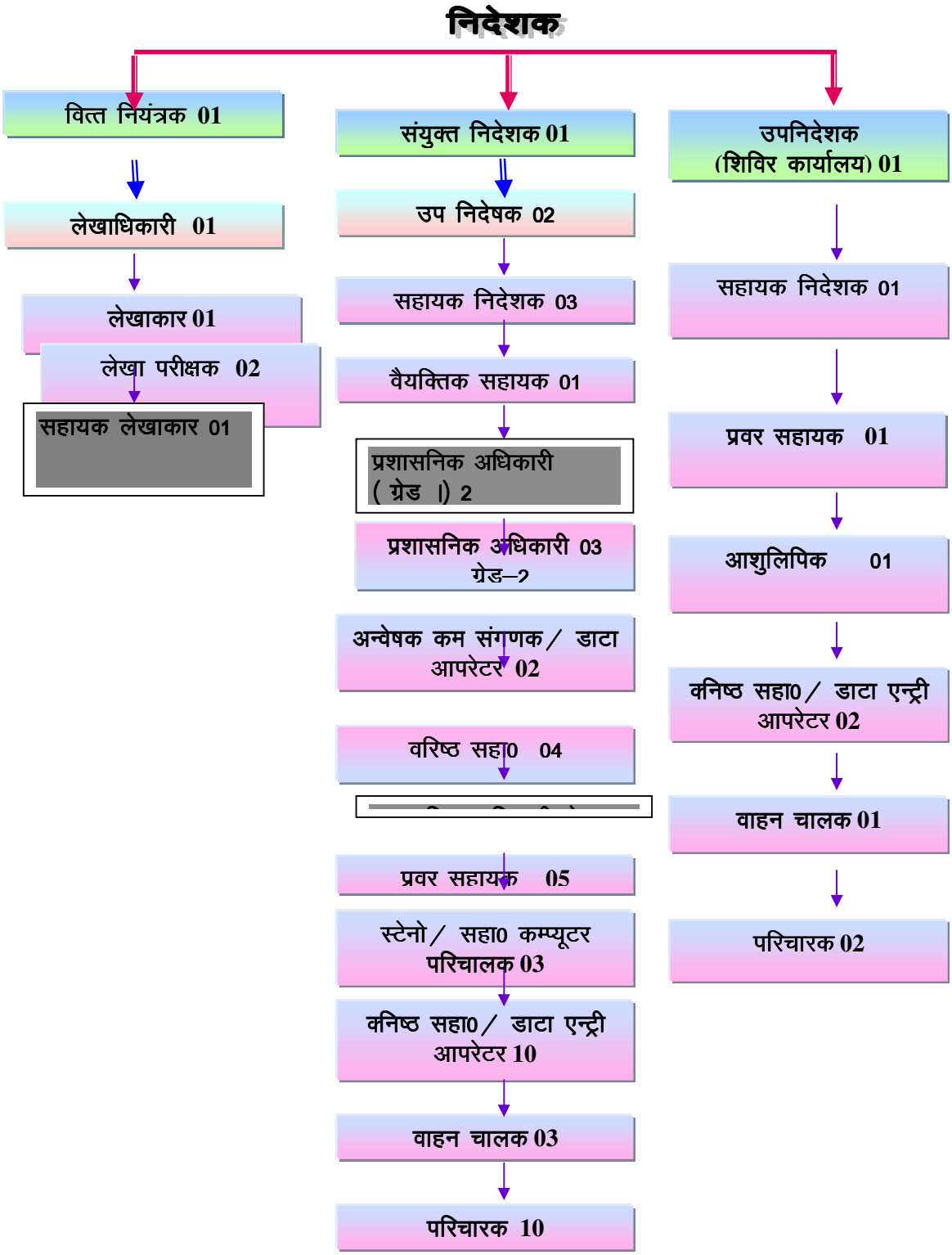

*चार्ट संख्या–03*

**14**

## शासकीय महाविद्यालयों का प्रशासनिक ढांचा

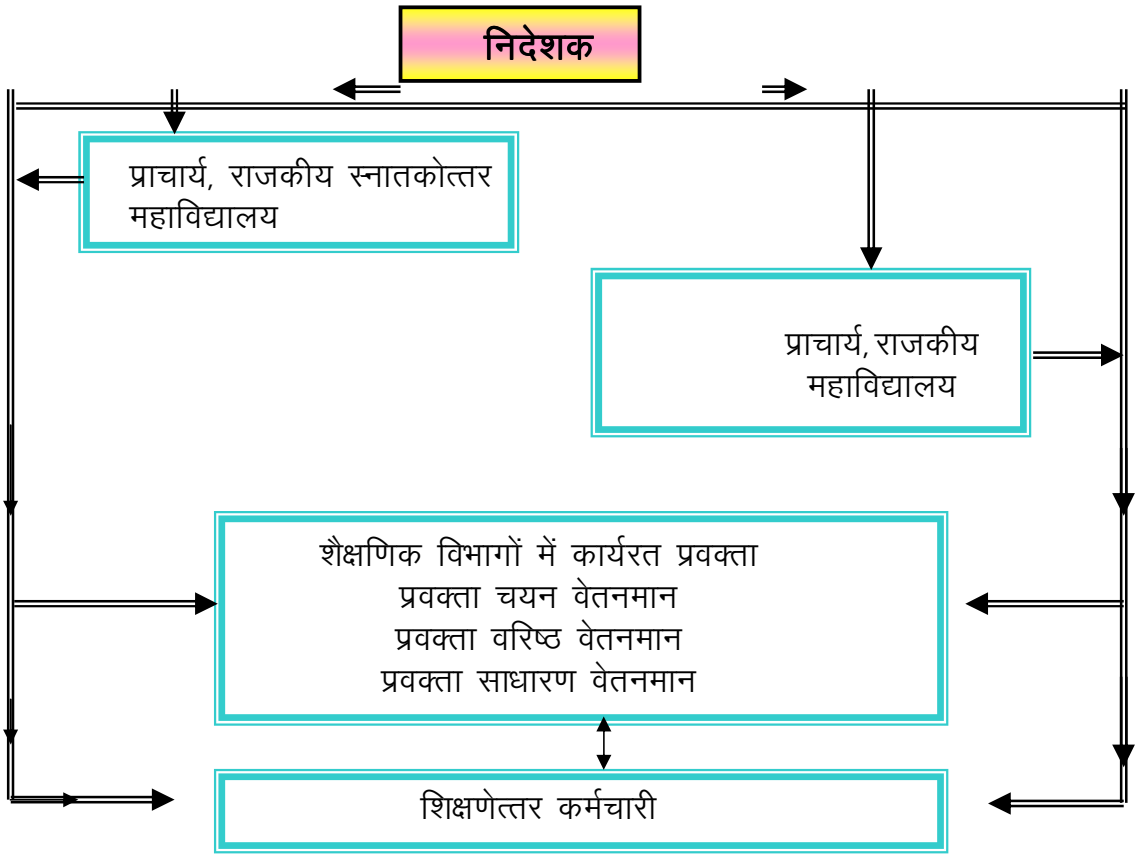


| **स्वीकृत पद** | : | **07–08** | **08–09** | **09–10** |
|---|---|---|---|---|
| पुस्तकालयाध्यक्ष | : | 25 | 25 | 25 |
| कार्यालय अधीक्षक | : | 25 | 25 | 25 |
| सहायक लेखाकार | : | 06 | 06 | 06 |
| वरिष्ठ लिपिक | : | 28 | 28 | 30 |
| प्रयोगशाला सहायक | : | 198 | 199 | 214 |
| आर्टिस्ट | : | 02 | 02 | 02 |
| तबलावादक | : | 09 | 09 | 09 |
| कनिष्ठ लिपिक | : | 147 | 147 | 152 |
| सहा0 पुस्तकालयाध्यक्ष | : | 09 | 09 | 12 |
| कैटलागर | : | 02 | 02 | 02 |
| आशुलिपिक | : | 22 | 22 | 22 |
| तकनीशियन / मैकेनिक | : | 02 | 02 | 02 |
| इलेक्ट्रीशियन / मैकेनिक | : | 15 | 15 | 17 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| दफ्तरी | : | 24 | 24 | 24 |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | : | 548 | 549 | 577 |
| **कुल योग** | | **1062** | **1062** | **1119** |



## कार्मिक प्रशिक्षण :

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस योजनान्तर्गत प्राचायों शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008–09 में प्रशिक्षण कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों से एक प्राचार्य तथा एक प्राध्यापक के द्वारा राष्ट्रीय योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में लोक नीति निर्माण एवं प्रकिया पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी में भी 05 प्राध्यापकों ने बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर आयोजित कार्यशाला में तथा एक प्राध्यापक ने ई–गर्बनेंस में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। 48 महाविद्यालयों के लेखाकारों /तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को विभाग द्वारा लेखा एवं वित्तीय प्रबन्ध में प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2007–08 में 141 प्रवक्ताओं ने यू0जी0सी0 अभिविन्यास एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।

## उच्च शिक्षा में नामांकन प्रवृत्तियां:

विगत वर्षों में प्रदेश में सामान्य उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का कुल नामांकन तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2005–06 में कुल नामांकन 122127 था जो 2006–07 एवं 2007–08 में बढ़कर क्रमशः 132356 एवं 137837 हो गया। यद्यपि उच्च शिक्षा पर कुल व्यय में भी 10 वीं योजना में सतत् वृद्धि हुई है, किन्तु सम्प्रति उच्च शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी औसत व्यय वर्ष 2003–04 एवं 2006–07 के अतिरिक्त कम होता गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा पर वास्तविक कुल व्यय विगत वर्ष की तुलना में कम हुआ है। तथा साथ ही प्रति विद्यार्थी औसत व्यय में तीव्र कमी हुई है।

***तालिका संख्या – 07***

**उच्च शिक्षा निदेशालय के नियंत्रणाधीन महाविद्यालयों में 10 वीं योजना के अन्तर्गत कुल वास्तविक व्यय एवं प्रति विद्यार्थी औसत व्यय की प्रवृत्तियां।**

| वर्ष | उच्च शिक्षा पर वास्तविक कुल व्यय लाख रू0 में | अध्ययनरत विद्यार्थियों की सं0 | प्रति विद्यार्थी औसत व्यय (रूपयों में) | प्रतिशत परिवर्तन (पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 5563.18 | 84581 | 6582 | (+) 31.74 |
| 2004-05 | 5609.03 | 88857 | 6312 | (-) 4.10 |
| 2005-06 | 6006.27 | 98326 | 6109 | (-) 5.93 |
| 2006-07 | 7428.71 | 106038 | 7006 | (+) 14.68 |
| 2007-08 | 7050.40 | 117724 | 5989 | (-) 14.52 |
| 2008-09 | 7453.27 | 129496 | 5757 | (+) 5.71 |
| 2009-10 | 10776.99 | 132359 | 8142 | (+) 4142 |

*तालिका संख्या–6* से स्पश्ट है कि वर्ष 2002 –03 की तुलना में 2003–04 में प्रति विद्यार्थी औसत व्यय 31.74 प्रतिशत बढ़ा है किन्तु इसके बाद इसमें सतत उच्च दर से कमी होने के लिए मुख्यतः निम्न कारण उत्तरदायी हैं:–

- विद्यार्थियों की संख्या में सतत वृद्धि होना।
- महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के पदों के रिक्त रहने के कारण वास्तविक व्ययों का कम होना।
- उच्च शिक्षा में वास्तविक व्यय में अत्यन्त न्यून दर से वृद्वि होना।
- उच्च शिक्षा में परिव्यय के सापेक्ष प्राविधान तथा प्राविधान के सापेक्ष स्वीकृतियों का अपेक्षाकृत कम रहना।

अतः उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के अनुसार आबंटित बजट में वृद्धि वांछनीय है। गुणवत्ता उन्नयन हेतु अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है।

*तालिका संख्या–07* से स्पष्ट है कि कुल नामांकन में तीव्र विस्तार के बावजूद विद्यार्थियों की संख्या में महाविद्यालयवार असमानता बनी हुई है। प्रदेश में प्रति महाविद्यालय औसत नामांकन 1018 है।



*तालिका संख्या – 08*

**उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सामान्य उच्च शिक्षा में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 2008–09***

| विश्वविद्यालय / महाविद्यालय | महावि0 परिसरों की संख्या | छात्र | | छात्रा | | योग | प्रदेश के कुल छात्रों का % | औसत विद्यार्थी प्रति महावि0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | कुल विद्या0 का % | संख्या | कुल विद्या0 का % | | | |
| शासकीय महाविद्यालय | **67** | 37,634 | **45-40** | 45,251 | **54.60** | 82,885 | **54-36** | **1237** |
| अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय | **15** | 18793 | **42-68** | 25244 | **57-32** | 44037 | **28-88** | **2936** |
| गढ़वाल विश्वविद्यालय | **3** | 6352 | **53-47** | 5527 | **46-53** | 11879 | **7.79** | **3960** |
| कुमायूँ विश्वविद्यालय | **2** | 4293 | **52-14** | 3940 | **47-86** | 8233 | **5.40** | **4116** |
| अशासकीय स्ववित्त पोषित महाविद्यालय | **22** | 1717 | **31-58** | 3720 | **68-42** | 5437 | **3.57** | **247** |
| **योग** | **109** | **68789** | **45.12** | **83682** | **54.88** | **152471** | **100** | **1399** |

* उत्तराखण्ड प्रदेश में अवस्थित तकनीकी, पेशेवर एवं अन्य उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले निजी स्ववित्त पोषित संस्थान उपरोक्त में सम्मिलित नहीं हैं।

शासकीय महाविद्यालयों का कुल नामांकन में 50.68 प्रतिशत भाग होने के बावजूद औसत नामांकन प्रदेश औसत से कम है, जिसका प्रमुख कारण विश्वविद्यालय परिसरों की तुलना में उच्च स्तरीय सुविधाओं की कमी तथा अशासकीय महाविद्यालयों की तुलना में अपेक्षाकृत दूरदराज के असेवित क्षेत्रों में अधिक संकेन्द्रण है।

## गढ़वाल मण्डल में अवस्थित स्ववित्त पोषित महाविद्यालय

| क0सं0 | महाविद्यालय का नाम |
|---|---|
| 1. | जी0आर0डी0 गर्ल्स डिगी कालेज, देहरादून |
| 2. | एन0डब्लू0टी कालेज, देहरादून |
| 3. | व्यापार मण्डल कन्या डिग्री कालेज, मंगलौर (हरिद्वार) |
| 4. | पृथ्वीराज चौहान महावि0 रोहालंकी (हरिद्वार) |
| 5. | चरत निकेतन विश्वभारती कन्या महाविद्यालय झबरेडा, हरिद्वार |
| 6. | रूड़की डिग्री कालेज धनौरी, रूड़की (हरिद्वार) |
| 7. | बाबू राम डिग्री कालेज सलियर रूड़की (हरिद्वार) |
| 8. | मैथोडिस्ट गर्ल्स डिग्री कालेज रूड़की (हरिद्वार) |

| | |
|---|---|
| 9. | राठ महाविद्यालय, पैठाणी, पौड़ी गढ़वाल |
| 10. | बाल गंगा महाविद्यालय, सैन्दुल कैमर, टिहरी गढ़वाल |
| 11. | महायोगी गुरूगोरखनाथ महाविद्यालय, बिथ्याणी यमकेश्वर, पौड़ी |
| 12. | सी0एन0आई0 डिग्री कालेज, देहरादून |
| 13. | मानव भारती 271 कृष्णा नगर, देहरादन |
| 14. | हर्ष विद्या मंदिर महाविद्यालय, रायसी, हरिद्वार |
| 15. | गर्ग डिग्री कालेज लक्सर, हरिद्वार |

**17**

**कुमॉऊ मण्डल में अवस्थित स्ववित्त पोषित महाविद्यालय**

| | |
|---|---|
| 16. | गन्ना कृषक कन्या महावि0 किच्छा (उधम सिंह नगर) |
| 17 | गुरूनानक बालिका डिग्री कालेज नानकमत्ता (उधमसिंह नगर) |
| 18 | बी0एस0बी0 कन्या महावि0 जसपुर (उधमसिंह नगर) |
| 19 | सनातन धर्म कन्या महावि0 रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) |
| 20 | लाल बहादुर तकनीकी संस्थान, हल्दूचौड़ (नैनीताल) |
| 21 | गुरू नानक डिग्री कालेज, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) |
| 22 | डा0 सुशीला तिवारी महाविद्यालय सितारगंज |

***तालिका संख्या – 09***

**विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार शासकीय महाविद्यालयों की संख्या ( 2006–07 से 2008–09)**

| विद्यार्थियों की संख्या | महाविद्यालयों की संख्या | | महाविद्यालयों की कुल संख्या का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|
| | 2006–07 | 2007–08 | 2008–09 | 2008–09 |
| 100 से कम | 20.00 | 21.54 | 11 | 16.41 |
| 101 से 500 | 41.82 | 41.53 | 27 | 40.29 |
| 501 से 1000 | 12.73 | 10.77 | 10 | 14.93 |
| 1001 से 1500 | 7.27 | 6.15 | 05 | 7.46 |
| 1501 से 2000 | 0.00 | 4.62 | 02 | 2.99 |
| 2001 से 2500 | 1.82 | 0.0 | 02 | 2.99 |
| 2501 से 3000 | 5.45 | 1.54 | 00 | 00 |
| 3001 से 4000 | 1.82 | 4.62 | 03 | 4.48 |
| 4001 से 5000 | 5.45 | 1.54 | 02 | 2.99 |
| 5001 से 9000 | 1.82 | 6.15 | 04 | 5.97 |
| 9001 से 10000 | 1.82 | 1.54 | 00 | 00 |
| 10000 से अधिक | 00 | 00 | 01 | 1.49 |
| **योग** | **100.00** | **100.00** | **67** | **100** |

नामांकन का विश्लेषण करने पर यह भी स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों की संख्या में हुई वृद्धि में समस्त महाविद्यालयों में व्यापक असमानतायें अवलोकित होती हैं। *तालिका संख्या–08* से स्पष्ट है कि वर्ष 2006–07 में 20 प्रतिशत महाविद्यालयों में छात्र संख्या 100 से कम है, 61.82 प्रतिशत महाविद्यालयों में विद्यार्द्धियों की संख्या 500 तक सीमित है एवं 74.55 प्रतिशत महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या प्रदेश औसत से कम है। दूसरी ओर कुछ महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक हो गयी है, जिनमें 06 महाविद्यालयों में यह 3000 से अधिक, 05 में 4000 से अधिक तथा 01 में 9000 से अधिक है, जिससे महाविद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं पर भारी दबाव उत्पन्न होने से पठन–पाठन का समुचित वातावरण निर्मित नहीं हो पाता। यह आवश्यक है कि ऐसे स्थानों में विशिष्ट विषयों वाले पृथक महाविद्यालयों की स्थापना हो, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी हो सकती है। यह उल्लेखनीय है कि शासकीय महाविद्यालयों में नये महाविद्यालयों को छोड़कर छात्र संख्या में तीब्रगति से वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि वर्ष 2006–07 की तुलना में 100 से अधिक छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों के वर्ग में 4, 3000 से अधिक संख्या वाले महाविद्यालयों के वर्ग में 02 तथा 5000 से अधिक संख्या वाले

महाविद्यालयों के वर्ग में 03 महाविद्यालयों की वृद्धि हुई है। नये महाविद्यालयों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के अभाव, विषय, विकल्पों की सीमित उपलब्धता तथा फैकल्टी में कमी इत्यादि कारणों से छात्र संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही हैं ।

**उच्च शिक्षा पर योजनागत एवं गैर योजनागत वास्तविक व्यय :**

राज्य गठन के पश्चात उच्च शिक्षा पर योजनागत एवं गैर योजनागत कुल व्यय में लगातार वृद्धि हुई है किन्तु वर्ष 2003–04 एवं वर्ष 2006–07 में पूर्व वर्ष के सापेक्ष क्रमशः 35.11 प्रतिशत तथा 40. 34 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि उल्लेखनीय है जिसे तालिका संख्या–09 में प्रदर्शित किया गया है।



11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत के पहले वर्ष में कुल प्राविधान 7338.96 लाख रू0 के सापेक्ष वास्तविक व्यय केवल 7050.40 लाख रू0 ही किया गया है। वर्ष 2007–08 में प्राविधान विगत वर्ष के वास्तविक व्यय की तुलना में बढ़ा है। प्राविधान की तुलना में वास्तविक व्यय में न्यून वृद्धि का प्रमुख कारण महाविद्यालयों में रिक्तियों की संख्या अधिक होना रही है *(तालिका संख्या–10)*।

***तालिका संख्या – 10***

**उच्च शिक्षा पर योजनागत एवं गैर योजनागत वास्तविक व्यय 2001–02 से 2007–08**

| वर्ष | वास्तविक व्यय (लाख रू0 में) | पूर्व वर्ष के सापेक्ष % वृद्वि |
|---|---|---|
| 2001-02 | 3490.13 | |
| 2002-03 | 4117.64 | 17.98 |
| 2003-04 | 5563.18 | 35.11 |
| 2004-05 | 5609.03 | 0.83 |
| 2005-06 | 6006.27 | 7.08 |
| 2006-07 | 7396-21 | 40.34 |
| 2007-08 | 7050.4 | (-) 5.10 |
| 2008-09 | 7453.27 | +5.71 |
| 2009-10प्राविधानित | 10776.99 | |
| 2010-11 प्रस्तावित | 16867.20 | |

***तालिका संख्या–11***

**उच्च शिक्षा पर आयोजनागत वास्तविक व्यय 2002–03 से 2007–08**

| वर्श | परिव्यय | प्राविधान | व्यय |
|---|---|---|---|
| 2002–03 | 1062.64 | 1091.37 | 713.80 |
| 2003–04 | 1849.00 | 2097.55 | 1849.53 |
| 2004–05 | 2507.00 | 1958.24 | 1647.79 |
| 2005–06 | 2650.00 | 2198.61 | 1868.27 |
| 2006–07 | 5972.00 | 4503.92 | 3156.03 |
| 2007–08 | 3738.12 | 3002.07 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2008–09 | | | |



## 2009–2010 के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियॉ :–

- निदेशालय का ढॉचा पुनर्गठित करते हुए 20 अतिरिक्त पदों का सृजन एव समायोजन के उपरान्त अब कुल पदों की संख्या 45 के स्थान पर 65 हो गयी है।
- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम चरण में रिक्त स्नातकोत्तर प्राचार्य के 15 तथा स्नातक प्राचार्य के 42 रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति के माध्यम से पूरित किया गया। इसी क्रम में द्वितीय चरण में 01 स्नातक प्राचार्य को संयुक्त निदेशक पद पर तथा 10 शिक्षकों को उप निदेशक/स्नातक प्राचार्य पद पर प्रोन्नत किया गया।
- लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न विषयों में चयनित 41 शिक्षकों को प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में नियुक्ति प्रदान की गई है।
- वर्ष 2008–09 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 15 राजकीय महाविद्यालयों में बी0एड0 कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।
- महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य के सुचारू संचालन हेतु 386 विजिटिंग/संविदा प्रवक्ताओं को शिक्षण सत्र 2009–10 में आमंत्रित किया गया।
- बालगंगा महाविद्यालय सेन्दुल केमर (टिहरी गढवाल) को अनुदान सूची में सम्मिलित करते हुए इस महाविद्यालय में कुल 23 पदों का सृजन किया गया है।
- अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी 63 महाविद्यालयों में पूर्ववत संचालित रही।
- 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कार्मिकों को अनुमन्य कराया जा चुका है तथा शिक्षकों को यू0जी0सी0 वेतनमान अनुमन्य कराये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किया जा चुका है।
- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयो में कार्यरत संविदा शिक्षकों को न्यूनतम रू0 8000/– एवं अधिकतम रू0 10000/– मानदेय को बढ़ाकर विजिटिंग प्रवक्ताओं के समान रू0 15000/– मासिक मानदेय अनुमन्य कराया गया है।
- चम्पावत के राजकीय महाविद्यालय में प्रवक्ताओं के 06 एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 09 पदों की स्वीकृति हुई।
- थलीसैंण के राजकीय महाविद्यालय हेतु 5.0 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण किया गया।
- विभिन्न महाविद्यालयों के भवन निर्माण इत्यादि की 30 योजनायें सम्प्रति निर्माण के विभिन्न चरणों में संचालित हैं।
- उच्च शिक्षा में ई–लर्निंग तकनीकी के प्रयोग हेतु विचार मन्थन।
- प्रदेश के समस्त शासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों एवं निजी स्ववित्त पोषित बी0एड0 व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन में मानकों का कड़ाई से अनुपालन करवाने एवं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु शासन द्वारा चार जांच दलों का गठन करके महाविद्यालयों एवं संस्थानों का प्रदेश व्यापी सघन निरीक्षण/अनुश्रवण कराया गया है।

**भावी कार्यक्रम एवं व्यूह नीतियॉः**

- समस्त अर्ह महाविद्यालयों का नैक द्वारा मूल्यॉकन एवं प्रत्यायन कराना।
- मूल्यॉकित एवं प्रत्यायनित महाविद्यालयों में आन्तरिक गुणवत्ता विनिश्चयन प्रकोष्ठ (IQAC) की स्थापना तथा उन्हें प्रभावशाली बनाना
- समस्त अवशेष महाविद्यालयों को यू0जी0सी0 की धारा–2एफ एवं 12 बी0 मान्यता प्राप्त कराने हेतु मानकों को पूर्ण कराना यथा– भूमि क्रय/भवन निर्माण, पदों का सृजन एवं नियुक्तियॉ अतिरिक्त विषयों एवं संकायों की स्वीकृति इत्यादि, जिससे इन महाविद्यालयों को भी मूल्यॉकन हेतु अर्ह बनाया जा सके।
- शोध एवं प्रसार को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- पाठ्यक्रम सामग्री का विकास एवं डिजिटाईजेशन (Content development & Digitisation) करना, जिससे एडूसेट प्रणाली का अधिकतम उपयोग हो सके।
- विभाग की अपनी वैबसाईट तैयार करना तथा निदेशालय एवं महाविद्यालयों के कार्यालयों को सूचना तकनीक के माध्यम से जोड़ना।
- समस्त महाविद्यालयों में इन्टरनेट–कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करना।
- प्राध्यापकों की लोक सेवा आयोग से नियुक्ति प्रक्रिया को तीव्र करने के प्रयास करना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु रैमेडियल पाठ्यक्रम संचालित करना।
- दूरस्थ महाविद्यालयों में आवासीय भवनों तथा छात्रावासों का निर्माण कराना।
- उत्तराखण्ड की भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुरूप रोजगार परक पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहन देना, उद्योग जगत के साथ अन्तःक्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित करना तथा देश एवं प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थाओं के साथ परस्पर सहयोग स्थापित करना।
- शासकीय महाविद्यालयों में निजी क्षेत्र से कम शुल्क पर स्ववित्त पेाषित बी0एड0 पाठ्यक्रमों का विस्तार करना।
- सुदृढ़ एवं सम्भावनायुक्त महाविद्यालयों को स्वायत्तशासी महाविद्यालयों के रूप में विकसित करना।
- उत्तराखण्ड के महाविद्यालयों में एम0बी0ए0 तथा विधि जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करना।
- पारंपरिक एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के समन्वय के द्वारा शिक्षा की पहुॅच एवं गुणवत्ता में अभिवृद्धि करना।
- महाविद्यालयों एवं निदेशालय में प्रशासन तथा अभिलेख प्रबन्धन में सूचना तकनीक का नवाचार पर आधारित उपयोग करना।

**उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित राजकीय महाविद्यालयों की सूची**

| क्र0 सं0 | महाविद्यालय का नाम | स्नातक / स्नातकोत्तर | स्थापना वर्ष | UGC धारा 2(f)/12B के अन्तर्गत आच्छादन की स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| **जनपद नैनीताल** | | | | |
| 1. | राज0 स्नात0 महाविद्यालय, हल्द्वानी | स्नातकोत्तर | 1960 | आच्छादित |
| 2. | रा0 महिला महावि0, हल्द्वानी | स्नातक | 1995 | आच्छादित |
| 3. | रा0 स्नात0 महाविद्यालय, रामनगर | स्नातकोत्तर | 1975 | आच्छादित |
| 4. | रा0 महावि0 दोशापानी, चौखुटा | स्नातक | 2005 | |
| 5. | रा0 महावि0 कोटाबाग | स्नातक | 2006 | |
| **जनपद बागेश्वर** | | | | |
| 6. | रा0 स्नात0 महाविद्यालय, बागेश्वर। | स्नातकोत्तर | 1974 | आच्छादित |
| 7. | रा0 महाविद्यालय, कपकोट | स्नातक | 2005 | |
| 8. | रा0 महाविद्यालय, कॉडा | स्नातक | 2006 | |
| **जनपद अल्मोड़ा** | | | | |
| 9. | रा0 स्ना0 महावि0, रानीखेत | स्नातकोत्तर | 1973 | आच्छादित |
| 10. | रा0 स्ना0 महावि0, द्वाराहाट | स्नातक | 1983 | आच्छादित |
| 11. | रा0 महावि0, मानिला। | स्नातक | 1989 | आच्छादित |
| 12. | रा0 महावि0, जैंती | स्नातक | 1995 | आच्छादित |
| 13. | रा0 महावि0, चौखुटिया | स्नातक | 2001 | |
| 14. | रा0 महावि0, गुरूड़ाबांज | स्नातक | 2006 | |
| 15. | रा0 महावि0, सोमेश्वर | स्नातक | 2006 | |
| 16. | रा0 महावि0, भिक्यासैंण | स्नातक | 2006 | |
| 17. | रा0 महावि0, स्याल्दे | स्नातक | 1979 | आच्छादित |
| **जनपद पिथौरागढ़** | | | | |
| 18. | रा0 स्नात0 महावि0 पिथौरागढ़ | स्नातकोत्तर | 1963 | आच्छादित |
| 19. | रा0 स्नात0 महावि0, बेरीनाग | स्नातकोत्तर | 1975 | आच्छादित |
| 20. | रा0 महावि0, नारायणनगर | स्नातक | 1983 | आच्छादित |
| 21. | रा0 महावि0, बलूवाकोट, धारचूला | स्नातक | 1997 | |
| 22. | रा0 महावि0, मुन्स्यारी | स्नातक | 2001 | |
| 23. | रा0 महावि0, गंगोलीहाट | स्नातक | 2001 | |
| **जनपद चम्पावत** | | | | |
| 24. | रा0 महावि0, चम्पावत। | स्नातक | 1997 | आच्छादित |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25. | रा0 स्नात0 महावि0, लोहाघाट | स्नातकोत्तर | 1979 | आच्छादित |
| 26. | रा0 महावि0, टनकपुर। | स्नातक | 2004 | |
| **जनपद उधमसिह नगर** | | | | |
| 27. | रा0 स्नात0 महावि0, खटीमा | स्नातकोत्तर | 1988 | आच्छादित |
| 28. | रा0 स्नात0 महावि0, रूद्रपुर | स्नातकोत्तर | 1974 | आच्छादित |
| 29. | रा0 स्नात0 महावि0, काशीपुर | स्नातकोत्तर | 1979 | आच्छादित |
| 30. | रा0 महावि0, बाजपुर। | स्नातक | 1995 | |
| **जनपद पौड़ी गढ़वाल** | | | | |
| 31. | रा0 स्नात0 महावि0, कोटद्वार | स्नातकोत्तर | 1971 | आच्छादित |
| 32. | रा0 महावि0, बेदीखाल | स्नातक | 1979 | |
| 33. | रा0 महावि0, जयहरीखाल | स्नातकोत्तर | 1972 | आच्छादित |
| 34. | रा0 महावि0, चौबट्टाखाल | स्नातक | 1979 | |
| 35. | रा0 महावि0, थलीसैंण। | स्नातक | 2001 | |
| 36. | रा0 महावि0, नैनीडांडा | स्नातक | 2006 | |
| 37. | रा0 महावि0, सतपुली | स्नातक | 2006 | |
| 38 | रा0 महावि0, रिखणीखाल | स्नातक | 2009 | |
| **जनपद– चमोली** | | | | |
| 39 | रा0 स्नात0 महावि0, गोपेश्वर | स्नातकोत्तर | 1966 | आच्छादित |
| 40. | रा0 महावि0, जोशीमठ | स्नातक | 1995 | |
| 41. | रा0 महावि0, तलवाड़ी | स्नातक | 1997 | आच्छादित |
| 42. | रा0 महावि0, गैरसैंण | स्नातक | 2001 | |
| 43. | रा0 महावि0, नागनाथ पोखरी | स्नातक | 2001 | |
| 44. | रा0 विधि0 महावि0, गोपेश्वर | स्नातक | 2003 | |
| 45. | रा0 महावि0 कर्णप्रयाग | स्नातक | 1979 | आच्छादित |
| **जनपद रूद्रप्रयाग** | | | | |
| 46. | रा0 स्नात0 महावि0, अगस्त्यमुनि | स्नातकोत्तर | 1974 | आच्छादित |
| 47. | रा0 महावि0, जखोली। | स्नातक | 2001 | |
| 48. | रा0 महावि0, रूद्रप्रयाग | स्नातक | 2006 | |
| **जनपद उत्तरकाशी** | | | | |
| 49. | रा0 स्नात0 महावि0, उत्तरकाशी | स्नातकोत्तर | 1969 | आच्छादित |
| 50. | रा0 महावि0, बढ़कोट | स्नातक | 1993 | |
| 51. | रा0 महावि0, पुरौला | स्नातक | 1993 | |
| 52. | रा0 महावि0, चिन्यालीसौंड़ | स्नातक | 2001 | |
| **जनपद टिहरी गढ़वाल** | | | | |
| 53. | रा0 महावि0, नई टिहरी | स्नातक | 1979 | आच्छादित |
| 54. | रा0 महावि0, देवप्रयाग | स्नातक | 1984 | आच्छादित |
| 55. | रा0 महावि0, अगरोड़ा | स्नातक | 2001 | |
| 56. | रा0 महावि0, चन्द्रबदनी | स्नातक | 2001 | |
| 57. | रा0 महावि0, नैनबाग | स्नातक | 2001 | |
| 58. | रा0 महावि0, प्रतापनगर | स्नातक | 2001 | |
| 59. | रा0 महावि0, पौखाल | स्नातक | 2002 | |
| 60. | रा0 महावि0, नरेन्द्रनगर | स्नातक | 2006 | |
| 61 | रा0 महावि0,थ्त्यूड | स्नातक | 2009 | |
| **जनपद देहरादून** | | | | |
| 62. | रा0 महावि0, डाकपत्थर। | स्नातक | 1993 | मान्यता |
| 63. | रा0 स्नात0 महावि0, ऋशिकेश | स्नातकोत्तर | 1972 | मान्यता |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 64. | रा0 महावि0, डोईवाला | स्नातक | 2001 | |
| 65. | रा0 महावि0, चकराता | स्नातक | 2004 | |
| 66. | रा0 महावि0, त्यूनी | स्नातक | 2006 | |
| **जनपद हरिद्वार** | | | | |
| 67. | रा0 महावि0, लक्सर | स्नातक | 2001 | |



**उत्तराखण्ड राज्य में नैक से प्रत्यायनित महाविद्यालयों की सूची :–**

| क्र0 | महाविद्यालय का नाम | नैक द्वारा प्रदत्त ग्रेड |
|---|---|---|
| 1 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋशिकेश (देहरादून) | A |
| 2 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर (उधमसिंहनगर) | C++ |
| 3 | एम0बी0राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी (नैनीताल) | B+ |
| 4 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर (नैनीताल) | B+ |
| 5 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार (पौड़ी) | C++ |
| 6 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग (पिथौरागढ़) | B+ |
| 7 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत (अल्मोड़ा) | B |
| 8 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) | B |
| 9 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी | B++ |
| 10 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर (चमोली) | B++ |
| 11 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ (पिथौरागढ़) | B++ |
| 12 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर | C+ |
| 13 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा (उधमसिंह नगर) | C+ |
| 14 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट (चम्पावत) | C++ |
| 15. | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयहरीखाल | C++ |
| 16. | डी0बी0एस0 पी0जी0 कालेज, देहरादून | B+ |
| 17. | दया नन्द महिला प्रशिक्षण कालेज, देहरादून | B+ |
| 18. | एम0के0पी0 पी0जी0 कालेज, देहरादून | B+ |
| 19. | चिन्मय महाविद्यालय, हरिद्वार | B |
| 20. | कन्हैयालाल डी0ए0बी0 पी0जी0 कालेज, रूड़की | B |
| 21. | एस0एम0जे0एन0 डिग्री कालेज, हरिद्वार | B |
| 22. | डी0ए0बी0 पी0जी0 कालेज, देहरादून | B+ |
| 23 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट | B |
| 24 | बी0एस0एम0 पी0जी0कालेज,रूडकी | B |
| 25 | राजकीय महाविद्यालय,स्याल्दे,(अल्मोडा) | C |

## उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित अशासकीय महाविद्यालयों की सूची

(क) अनुदानित महाविद्यालयः

| क्र0 सं0 | जनपद | महाविद्यालय का नाम | स्थापना वर्श | UGC धारा 2(f)/12B के अन्तर्गत आच्छादन की स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अल्मोडा | आर्य कन्या महाविद्यालय, अल्मोडा। | 1974 | आच्छादित |
| 2. | उधमसिंहनगर | चन्द्रावती तिवारी कन्या महावि. काशीपुर। | 1986 | — |
| 3. | देहरादून | डी0 डब्लू0 टी0 कालेज, देहरादून | 1961 | आच्छादित |
| 4. | देहरादून | डी0 ए0 बी0 कालेज देहरादून। | 1986 | आच्छादित |
| 5. | देहरादून | डी0 बी0 एस0 कालेज, देहरादून। | 1961 | आच्छादित |
| 6. | देहरादून | एम0 के0 पी0 पी0जी0 कालेज देहरादून। | 1958 | आच्छादित |
| 7. | देहरादून | श्री गुरुराम राय कालेज देहरादून। | 1960 | आच्छादित |
| 8. | देहरादून | एम0 पी0 जी0 कालेज, मसूरी (देहरादून) | 1963 | आच्छादित |
| 9. | हरिद्वार | आर0एम0पी0 पी0जी0 कालेज गुरूकुल नारसन (हरिद्वार)। | 1950 | आच्छादित |
| 10. | हरिद्वार | बी0 एस0 एम0 पी0जी0कालेज, रुडकी (हरिद्वार) | 1958 | आच्छादित |
| 11. | हरिद्वार | के0 एल0 डी0 ए0 वी0 कालेज, रुडकी (हरिद्वार) | 1960 | आच्छादित |
| 12. | हरिद्वार | चिन्मय डिग्री कालेज हरिद्वार। | 1989 | आच्छादित |
| 13. | हरिद्वार | एस0डी0पी0सी0 कालेज रुडकी (हरिद्वार) | 1966 | आच्छादित |
| 14. | हरिद्वार | एस0एम0जे0एन0 कालेज, हरिद्वार। | 1960 | आच्छादित |
| 15. | हरिद्वार | महिला महावि. पी.जी., कालेज कनखल, हरिद्वार। | 1965 | आच्छादित |
| 16 | नई टिहरी | बाल गंगा सैन्दुल कैमर महा0,टिहरी | 1991 | — |

## (ख) अनानुदानित महाविद्यालय

### गढ़वाल मण्डल में अवस्थित स्ववित्त पोषित महाविद्यालय

| क्र0 सं0 | महाविद्यालय का नाम |
|---|---|
| 1. | जी0आर0डी0 गर्ल्स डिगी कालेज, देहरादून |
| 2. | एन0डब्लू0टी कालेज, देहरादून |
| 3. | व्यापार मण्डल कन्या डिग्री कालेज, मंगलौर (हरिद्वार) |
| 4. | पृथ्वीराज चौहान महावि0 रोहालंकी (हरिद्वार) |
| 5. | चरत निकेतन विश्वभारती कन्या महाविद्यालय झबरेडा, हरिद्वार |
| 6. | रूड्की डिग्री कालेज धनौरी, रूड़की (हरिद्वार) |
| 7. | बाबू राम डिग्री कालेज सलियर रूड़की (हरिद्वार) |
| 8. | मैथोडिस्ट गर्ल्स डिग्री कालेज रूड़की (हरिद्वार) |
| 9. | राठ महाविद्यालय, पैठाणी, पौड़ी गढ़वाल |
| 10. | महायोगी गुरूगोरखनाथ महाविद्यालय, बिथ्याणी यमकेश्वर, पौड़ी |
| 11. | सी0एन0आई0 डिग्री कालेज, देहरादून |
| 12. | गुरूरामराय (पी0जी0) कालेज, देहरादून |
| 13. | मानव भारती 271 कृश्णा नगर, देहरूादन |
| 14. | हर्श विद्या मंदिर महाविद्यालय, रायसी, हरिद्वार |
| 15. | गर्ग डिग्री कालेज लक्सर, हरिद्वार |

### कुमॉऊ मण्डल में अवस्थित स्ववित्त पोषित महाविद्यालय

| | |
|---|---|
| 1. | गन्ना कृशक कन्या महावि0 किच्छा (उधमसिंह नगर) |
| 2. | गुरूनानक बालिका डिग्री कालेज नानकमत्ता (उधमसिंह नगर) |
| 3. | बी0एस0बी0 कन्या महावि0 जसपुर (उधमसिंह नगर) |
| 4. | सनातन धर्म कन्या महावि0 रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) |
| 5. | लाल बहादुर तकनीकी संस्थान, हल्दूचौड़ (नैनीताल) |
| 6. | गुरू नानक डिग्री कालेज, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) |

## राजकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2003–04 एवं इसके पश्चात प्रारम्भ किये गये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची

| क्र0 | महाविद्यालय का नाम | पाठ्यक्रम का नाम |
|---|---|---|
| 1 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर (उधमसिंहनगर) | डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज |
| | | पी0जी0 डिप्लोमा इन योगा |
| 2 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी (नैनीताल) | पी0जी0 डिप्लोमा इन इन्टीरियर एण्ड एक्सटीरियर डेकोरेशन |
| | | पी0जी0 डिप्लोमा इन योगा |
| 3 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर (नैनीताल) | योग प्रशिक्षण (सर्टिफिकेट कोर्स) |
| | | डिप्लोमा इन ईको टूरिज्म |
| 4 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार (पौड़ी) | डिप्लोमा इन नर्सरी टैक्नोलॉजी आरचर्ड मैनेजमेंट |
| | | पी0जी0 डिप्लोमा इन एडवरटाइजिंग |
| 5 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग) | डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज |
| | | डिप्लोमा इन नर्सरी टैक्नोलॉजी आरचर्ड मैनेजमेंट |
| 6 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत (अल्मोड़ा) | डिप्लोमा इन ईको टूरिज्म |
| | | डिप्लोमा इन नर्सरी टैक्नोलॉजी आरचर्ड मैनेजमेंट |
| 7 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) | डिप्लोमा इन इन्टीरियर एण्ड एक्सटीरियर डेकोरेशन |
| | | डिप्लोमा इन ईको टूरिज्म |
| 8 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी (उत्तरकाशी) | डिप्लोमा इन ईको टूरिज्म |
| | | डिप्लोमा इन नर्सरी टैक्नोलॉजी आरचर्ड मैनेजमेंट |
| 9 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर (चमोली) | डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज |
| | | पत्रकारिता एवं जनसंचार |
| 10 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ (पिथौरागढ़) | पी0जी0 डिप्लोमा इन बिजनेंस ईकोनोमिक्स एण्ड फाइनेंस |
| | | डिप्लोमा इन फिश टैक्नोलॉजी |
| 11 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर (बागेश्वर) | डिप्लोमा इन फिश टैक्नोलॉजी |
| | | डिप्लोमा इन नर्सरी टैक्नोलॉजी आरचर्ड मैनेजमेंट |
| 12 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋशिकेश (देहरादून) | पी0जी0 डिप्लोमा इन एडवरटाइजिंग |
| | | पी0जी0 डिप्लोमा इन योगा होविस्टकर |
| 13 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पुरौला (उत्तरकाशी) | डिप्लोमा इन ईको टूरिज्म |
| | | जर्नलिज्म एवं मास कम्यूनिकेशन (जनसंचार) |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट (अल्मोड़ा) | डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस |
| | | डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज |



| क0 | महाविद्यालय का नाम | पाठ्यक्रम का नाम |
|---|---|---|
| 15 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा (ऊधमसिंहनगर) | सार्टीफिकेट इन योगा |
| | | पी0जी0 डिप्लोमा इन योगा एण्ड हालेस्टिक हैल्थ |
| 16 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट | डिप्लोमा इन टूरिज्म एण्ड ट्रैवल्स मैनेजमैन्ट |
| | | डिप्लोमा इन हार्डवेयर टैक्नोलौजी |
| 17 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग | ज्योतिश विज्ञान में प्रमाण पाठ्यक्रम |
| | | डिप्लोमा वानिकी एवं वन प्रबन्धन |
| 18 | राजकीय महाविद्यालय विकासनगर–डाकपत्थर देहरादून | पी0जी0 डिप्लोमा इन एडवरटाइजिंग एण्ड पब्लिक रिलेशन्स |
| | | पी0जी0 डिप्लोमा इन योगा एण्ड हालेस्टिक हैल्थ |
| 19 | राजकीय महाविद्यालय जयहरीखाल, पौड़ी | पी0जी0 डिप्लोमा इन बिजनेंस ईकोनोमिक्स एण्ड फाइनेंस |
| | | डिप्लोमा इन नर्सरी टैक्नोलॉजी आरचर्ड मैनेजमेंट |
| 20 | राजकीय महाविद्यालय, नारायणनगर,पिथौरागढ़ | डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज |
| | | डिप्लोमा इन इन्टीरियर एण्ड एक्सटीरियर डैकोरेशन |
| 21 | राजकीय महाविद्यालय, कर्णप्रयाग, चमोली | पी0जी0 डिप्लोमा इन बिजनेंस ईकोनोमिक्स एण्ड फाइनेंस |
| | | डिप्लोमा इन इको टूरिज्म |
| 22 | राजकीय महाविद्यालय, जोशीमठ, चमोली | पी0जी0 डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन |
| | | डिप्लोमा इन इको टूरिज्म |
| 23 | राजकीय महाविद्यालय, स्याल्दे अल्मोड़ा | डिप्लोमा इन नर्सरी टैक्नोलॉजी आरचर्ड मैनेजमेंट |
| | | डिप्लोमा इन इको टूरिज्म |
| 24 | राजकीय महाविद्यालय, टनकपुर | डिप्लोमा इन कम्प्यूटर लैब |

**प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित आधार पर सत्र 2008–09 से प्रारम्भ किये गये व्यवसायिक पाठ्यक्रम**

| क्रं0सं0 | महाविद्यालय का नाम | प्रस्तावित |
|---|---|---|
| 1 | राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर | 1. बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन<br>2. डिप्लोमा इनकम्प्यूटराइज्ड एकाउंटिंग<br>3. एम0बी0ए0<br>4. एम0सी0ए0 |
| 2 | राजकीय महाविद्यालय जयहरीखाल (पौड़ी) | 1. डिप्लोमा इन फूॅड एण्ड न्यूट्रीशन<br>2. डिप्लोमा कल्टीवेशन ऑफ मैडीसनल एण्ड एरोमैटिक प्लान्ट्स |
| 3 | राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग (चमोली) | 1. पी0जी0 डिप्लोमा इन यौगिक साईन्स |

| | | |
|---|---|---|
| | | (योगा) |
| 4 | राजकीय महाविद्यालय नई टिहरी | 1. योगा<br>2. टूरिज्म |
| 5 | राजकीय महाविद्यालय लम्बगॉव | 1. इको टूरिज्म<br>2. नेचुरल रिसोर्स मैनेजमैंट |
| 6 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी | 1. एम0ए0 इन योगा |



## आदर्श महाविद्यालयों एवं उनमें संचालित डिग्री स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची

| क0सं0 | वर्श | महाविद्यालय का नाम | पाठ्यक्रम |
|---|---|---|---|
| 1. | 2003–04 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर | टूरिज्म एण्ड ट्रैवल्स मैनेजमेंट |
| 2. | 2003–04 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ऋषिकेश | बैचलर इन मेडिकल लैव टैक्नोलौजी |
| 3. | 2003–04 | राजकीयस्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़ | हार्टिकल्चर |
| 4. | 2004–05 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत | नर्सरी टैक्नोलौजी एण्ड आरचर्ड मैनेजमेंट |
| 5. | 2004–05 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी | बायोटैक्नोलौजी |
| 6. | 2004–05 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी | बैचलर इन टूरिज्म स्टडीज |
| 7. | 2005–06 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूद्रपुर | बैचलर इन टूरिज्म स्टडीज |
| 8. | 2005–06 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट | बैचलर इन टूरिज्म स्टडीज |
| 9. | 2005–06 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार | बायोटैक्नोलौजी |
| 10. | 2006–07 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी | पर्यटन |
| 11. | 2006–07 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर | पर्यटन |
| 12. | 2006–07 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि | कम्प्यूटर एकाउन्टिंग |
| 13. | 2006–07 | चिन्मय अशासकीय महाविद्यालय, हरिद्वार | – |

## शासकीय महाविद्यालयों में बी0एड0 पाठ्क्रम की वर्तमान एवं प्रस्तावित सीटों का विवरण

| | | | राज्य सहायतित | स्ववित्त पोषित |
|---|---|---|---|---|
| क्र0 सं0 | राजकीय महाविद्यालय का नाम | सृजित पद | बी0एड0 पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीटों की संख्या | बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत सीटों की संख्या |
| 1. | एम0बी0 रा0 स्ना0 महा0, हल्द्वानी | 07 | 70 | स्वीकृत 100 |
| 2 | रा0 स्ना0 महा0, पिथौरागढ़ | 07 | 70 | प्रस्तावित 100 |
| 3 | रा0 स्ना0 महा0, गोपेश्वर | 07 | 70 | स्वीकृत 100 |
| 4 | रा0 स्ना0 महा0, कोटद्वार | 06 | 60 | स्वीकृत 100 |
| 5. | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ऋषिकेश (देहरादून)। | | | प्रस्तावित 100 |
| 6. | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी। | | | प्रस्तावित 100 |
| 7. | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर। | | | स्वीकृत 100 |
| 8. | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर)। | | | स्वीकृत 100 |
| 9. | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत (अल्मोड़ा)। | | | स्वीकृत 100 |
| 10. | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग (पिथौरागढ़)। | | | स्वीकृत 100 |
| 11. | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग)। | | | स्वीकृत 100 |
| 12. | राजकीय महाविद्यालय, बेदीखाल (पौड़ी गढ़वाल) | | | स्वीकृत 100 |
| 13. | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खटीमा (उधमसिंह नगर)। | | | स्वीकृत 100 |
| 14. | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर (उधमसिंह नगर)। | | | स्वीकृत 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15. | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर (नैनीताल)। | | | स्वीकृत 100 |
| 16. | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयहरीखाल (पौड़ी गढ़वाल)। | | 100 | स्वीकृत 100 |



| क्र0 सं0 | राजकीय महाविद्यालय का नाम | सृजित पद | बी0एड0 पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीटों की संख्या | बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 17. | राजकीय महाविद्यालय, डाकपत्थर (देहरादून)। | | | स्वीकृत 100 |
| 18. | राजकीय महाविद्यालय, नैनीडांडा (पौड़ी गढ़वाल)। | | | स्वीकृत 100 |
| 19. | राजकीय महाविद्यालय, गैरसेंण (चमोली)। | | | प्रस्तावित 100 |
| 20. | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट (चम्पावत)। | | | प्रस्तावित 100 |
| 21. | राजकीय महाविद्यालय, चन्द्रबदनी (टिहरी गढ़वाल)। | | | प्रस्तावित 100 |
| 22. | राजकीय महाविद्यालय, लक्सर (हरिद्वार)। | | | प्रस्तावित 100 |
| 23 | राजकीय महाविद्यालय, भिकियासैण | | | प्रस्तावित 100 |
| 24 | राजकीय महाविद्यालय, लम्बगॉव (प्रतापनगर) | | | प्रस्तावित 100 |

## (ख) बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित कर रहे निजी स्ववित्त पोषित संस्थानों का विवरण।

| क्र0 सं0 | गत 5 वर्षों में खोले गये विद्यालयों/महाविद्यालयों का नाम तथा स्थल | बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु सीटों की संख्या |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | कुकरेजा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन,देहरादून | 100 |
| 2. | इसटींटयूट आफ मेनेजमेंट स्टडीज, देहरादून | 100 |
| 3. | हिमालयन दून एकेडमी भगवानपुर,रूडकी हरिद्वार | 100 |
| 4. | पी जी कालेज एग्रीकल्चरल साइंस टैक्नालाजी एंड एजुकेशन देहरादून | 100 |
| 5. | दून वैली कालेज आफ एजुकेशन चकराता रोड देहरादून | 100 |
| 6. | आम्रपाली इंसटीटयूट आफ मेनेजमेंट एंड कम्प्यूटर एप्लकेशन,हल्द्वानी | 100 |
| 7. | जय अरिहंत एकेडमिक इंस्टीटयूट,हल्द्वानी | 100 |
| 8. | इन्सपिरेशन कालेज ऑफ टीचर्स एजुंकेशन,काठगोदाम,नैनीताल | 100 |
| 9. | देवभूमि इंसटीटयूट आफ प्रॉफेशनल एजुकेशन रूद्रपुर | 100 |
| 10. | सरस्वती इंसटीटयूट आफ मेनेजमेंट एंड टैक्नालाजी,रूद्रपुर | 100 |

| | | |
|---|---|---|
| 11. | चन्द्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय,काशीपुर | 100 |
| 12. | श्रीराम इंसटीटयूट आफ मेनेजमेंट एंड टैक्नालाजी,काशीपुर | 100 |
| 13. | सल्ट इंसटीटयूट आफ टैक्नोलाजी एंड मेनेजमेंट, शशीखाल, मोलेखाल, अल्मोडा। | 100 |



| क0 सं0 | गत 5 वर्षों में खोले गये विद्यालयों/महाविद्यालयों का नाम तथा स्थल | बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित सीटों की संख्या |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 14. | जे0एन0काल इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन,भीमताल,नैनीताल | 60 |
| 15. | मंसूरी मेनेजमेंट इंस्टीट्यूट,मंसूरी,देहरादून | 100 |
| 16. | तनिश्क कालेज आफ एजुकेशन,देहरादून | 100 |
| 17. | श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन साइंस एंड टैक्नालाजी,देहरादून | 100 |
| 18. | मंसूरी इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन,मसूरी | 100 |
| 19. | उत्तराचंल कालेज आफ एजुकेशन,देहरादून | 100 |
| 20. | डाल्फिन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो मेडिकल एंड साइंसेज,देहरादून | 100 |
| 21. | डी0डी0 इंस्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज देहरादून | 100 |
| 22. | एशियन स्कूल आफ टीचर्स एजुकेशन देहरादून | 100 |
| 23. | पैस्टील वीड कालेज आफ ईॅफोरमेशन एंड टैक्नोलोजी,देहरादून | 100 |
| 24. | वी0 हाईव कालेज एडवान्स स्टडीज, देहरादून। | 100 |
| 25. | दून इंस्टीट्यूट आफ टीचर्स टेंनिंग देहरादून | 100 |
| 26. | डा0 सुशीला तिवारी आफ एडवांस स्टडीज,देहरादून | 100 |
| 27. | श्रीमती मंजीरा देवी शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति हिटाणू धनारी उत्तरकाशी | 100 |
| 28. | राठ महाविद्यालय,पैठाणी,पौडी | 100 |
| 29. | मदरहुड इंस्टीट्यूट आफ मेनेजमेंट टैक्नालाजी,हरिद्वार | 100 |
| 30. | अरिहंत कालेज आफ एजुकेशन आफ रूडकी | 100 |
| 31. | दून घाटी कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन,देहरादून | 100 |
| 32. | हिमालयन कालेज रूडकी | 100 |
| 33. | मार्डन इंसटीटयूट आफ टैक्नोलाजी,ऋशिकेश | 100 |
| 34. | द्रोणाज कालेज आफ मेनेजमेंट एंड टैक्नीकल एजुकेशन,देहरादून | 100 |
| 35. | सीतादेवी मैमोरियल इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशनल एंड टैक्नालाजी,ज्वालापुर हरिद्वार | 100 |
| 36. | हिमालयन कालेज उहाना चौक,रूडकी | 100 |
| 37. | द्रोणाचार्य इंस0आफ टीचर्स एजुकेशन विकास नगर,देहरादून | 100 |
| 38. | इंस्टीट्यूट आफ प्रोगेसिव स्टडीज एंड डेवलेपमेंट,रूडकी | 100 |
| 39. | दून इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन,श्श्यामपुर,देहरादून | 100 |
| 40. | राश्टीय चेतना कालेज आफ एजुकेशन, देहरादून | 100 |
| 41. | द्रोण बी0एड0 कालेज, रूद्रपुर | 100 |
| 42. | सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेंनेजमेंट टैक्नोलोजी, रूद्रपुर | 100 |
| 43. | देवभूमि कालेज ऑफ एजूकेशन, चूना भट्टा रोड, बनबसा | 100 |

| | | |
|---|---|---|
| 44. | लाल बहादुर तकनीकी संस्थान, हल्दूचौड़ (नैनीताल) | 100 |
| 45. | गुरूनानक कन्या महाविद्यालय, नानकमत्ता | 100 |



# मैनुअल क्रम सं0 – 2

## अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

1. **उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा सम्पादित होने वाले प्रमुख कार्यो का विवरण–**
2. **निदेशक के अधिकार।**
3. **संयुक्त निदेशक के कार्य एवं दायित्व।**
4. **उप निदेशक उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय देहरादून के कार्य एवं दायित्व।**
5. **राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार।**
6. **वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं वित्तीय अधिकार।**

### 1. उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा सम्पादित होने वाले प्रमुख कार्यो का विवरणः

(क) **अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित कार्यः–**

1. शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अनुदान का आवंटन किया जाना।
2. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर नये पदो ंके सृजन संबंधी कार्यवाही, रिक्त होने वाले पदों का सततीकरण तथा पदों का स्थायीकरण।
3. शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन निर्धारण, चयन वेतनमान स्वीकृत किया जाना तथा वेतन संबंधी विवाद।
4. सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति तथा सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि की राशि का अन्तिम भुगतान।
5. नये महाविद्यालयों के खोले जाने का प्रस्ताव तैयार करना ।
6. महाविद्यालयों के खोले जाने तथा पूर्व में चल रहें महाविद्यालयों में नये विषयों को खोले जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करना।
7. महाविद्यालयों का आडिट कराना तथा आडिट आपत्तियों का निराकरण, अनियमितताओं की जॉच कराना, विभिन्न स्त्रोतों से शासन को प्राप्त शिकायतों की जॉच कराना तथा तद्नुसार कार्यवाही करना।
8. महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक/प्रशासक नियुक्त किये जाने से संबन्धित कार्यवाही।

9. महाविद्यालयों के अध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों और आने वाले शिक्षा वर्ष के दौरान सम्भावित रिक्तियों की सूचना महाविद्यालयों से प्राप्त करना।
10. सूचित रिक्तियों की विषयवार समेकित सूची तैयार कर विज्ञापन एवं चयन हेतु प्रस्तुत करना।
11. प्रकीर्ण संस्थाओं को सहायक अनुदान प्रदान किया जाना।
12. शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियों को अनुमोदन प्रदान किया जाना।



**(ख) राजकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित कार्यः–**

1. राजकीय महाविद्यालयों का वार्षिक बजट तैयार कराना, शिक्षकों की तैनाती/स्थानान्तरण तथा प्रोन्नति के मामले।
2. इन महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं प्राचार्य के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जॉच एवं अनुशासनिक/प्रशासनिक कार्यवाही करना।
3. नये पदों का सृजन तथा नये राजकीय महाविद्यालयों के खोले जाने हेतु शासन को संस्तुति करना।
4. शिक्षकों /कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के अवकाश की स्वीकृति।
5. प्राचार्य/ शिक्षकों की पेंशन, भविष्य निधि तथा विभिन्न प्रकार के अग्रिम के निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही करना।
6. महाविद्यालयों के विकास हेतु अनावर्तक/आवर्तक धनराशि का आबंटन।

(ग) प्रदेश के अशासकीय तथा राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षित होने की दशा में शिक्षकों,बर्सरों,कार्यालय अधीक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों/उप पुस्तकालयाध्यक्षों तथा को–आर्डिनेटरों के वेतन निर्धारण का कार्य उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

(घ) अशासकीय/शासकीय महाविद्यालयों से संबन्धित न्यायालयों में चल रहें वादों की पैरवी छात्रों की विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियॉ की स्वीकृति छात्रवृत्ति की वसूली तथा उच्च शिक्षा से सम्बन्धित सभी प्रकार के ऑकड़े एकत्रित करना और विकास हेतु योजना बनाना तथा शिक्षकों /प्राचार्यो का प्रशिक्षण कार्य भी निदेशालय द्वारा किया जाता है, साथ ही साथ विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से संबन्धित समस्याओं के संबध में शासन को परामर्श देना एवं इनसे संबन्धित विधान मण्डल में उठाये गये प्रश्नों के उत्तर देना इत्यादि।

(ड़) उच्च शिक्षा का वार्षिक बजट तैयार करना।

2 (क) **निदेशक के अधिकार**

1. महाविद्यालयों हेतु क्रयादेश की सीमा रू0 1.00 लाख।
2. चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सीमा रू0 10000/– ।
3. असाधारण अवकाश स्वीकृति की सीमा 6 माह ।

4. कैरियर एडवान्समेन्ट योजना (Career Advancement Scheme) के अन्तर्गत वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान संस्तुत करने का अधिकार।

5. निष्प्रयोज्य सामग्री का अपलेखन (Write-off) का रू0 20000/– ।



6. संस्थाओं में विशेष परिस्थितियों में प्रवक्ताओं को तात्कालिक व्यवस्था हेतु सम्बद्धता (Attachment) का अधिकार।

7. महाविद्यालयों में छात्रकोश की बचत राशि एवं व्याज की धनराशि को विगत 03 वर्षों तक की राशि को संस्था के विकास में प्रयोग किये जाने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) द्वारा प्राचार्यो की आहूत बैठक में कार्यवृत (Minutes) में उक्त व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

3 **संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा) का पद वर्तमान में रिक्त है। इस पद पर तैनाती हो जाने पर संयुक्त निदेशक के लिये निम्नलिखित कार्यो/दायित्वों का आवंटन प्रस्तावित हैः–**

1. उच्च शिक्षा निदेशालय तथा अधीनस्थ कार्यालय/महाविद्यालयों के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा– नियुक्तियॉ, स्थानान्तरण वेतन निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, कार्यालय अधीक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों की गोपनीय चरित्र प्रविष्टियों का अंकन/रख–रखाव।
2. शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त तथा अनानुदानित महाविद्यालयों की स्थायी/अस्थाई सम्बद्धता के प्रकरण, नये विषयों/संकायों का खोला जाना, नये महाविद्यालयों की स्थापना, नई योजनाओं का क्रियान्वयन तथा बजट प्रस्ताव।
3. शासकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों वर्ग/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेन्शन/उपादान/भविष्य निधि अन्तिम भुगतान/सामूहिक बीमा उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के समस्त प्रकरण।
4. अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति, पदो के सृजन के प्रस्ताव तथा तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के अनुमोदन के प्रकरण।
5. महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा तथा भवन निर्माण कार्य के नये प्रस्तावों पर कार्यवाही।
6. महाविद्यालयों के स्टाफ स्टेटमेंन्ट सांख्यिकीय आंकड़ो का संकलन, रोस्टर पंजिकाओं का रख–रखाव, विभागीय प्रगति विवरण/दिग्दर्शिका का प्रकाशन।
7. शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के सम्परीक्षा के प्रकरण/अनुपालन आख्याओं की समीक्षा/निस्तारण।
8. निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तरांचल द्वारा समय–समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्यो का निस्तारण।

**4. <u>उपनिदेशक (उच्च शिक्षा) शिविर कार्यालय देहरादून के कार्यो एवं दायित्वों का विवरणः–</u>**

**<u>(क) प्रशासनिक कार्यः–</u>**

1. अशासकीय महाविद्यालयों की प्रशासनिक जॉच एवं निरीक्षण संबंधी कार्य।
2. महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की संस्तुति।
3. विधान सभा के प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराना।



4. नये विषय खोलने के लिये, पैनल में शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के प्रतिनिधि के रूप में महाविद्यालयों का निरीक्षण करना।
5. शासन तथा उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा दिये गये विशेष कार्यो का सम्पादन।
6. अपने क्षेत्र के अशासकीय महाविद्यालयों में शैक्षिक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की अनुज्ञा प्रदान करना।
7. शासन के आदेश पर राजकीय महाविद्यालयों के खोले जाने हेतु क्लीयरेंस देने के लिये निरीक्षण करना एवं संस्तुति देना।
8. अशासकीय महाविद्यालयों को दिये गये अनुदान की उपभोग अवधि में एक वर्ष की सीमा तक वृद्धि करना।
9. बर्सर, पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक एवं को–आर्डिनेटर के पदों को छोड़कर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करना।
10. अपने क्षेत्र के सभी अशासकीय महाविद्यालयों/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से नियत तिथि पर स्टाफ स्टेटमेंट प्राप्त करना तथा महाविद्यालयों में रिक्त पदो के संबंध में अधियाचन प्राप्त करके निदेशक को भेजना।
11. क्षेत्र के महाविद्यालय/स्नातकोत्तर महाविद्यालय से सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों के पेंशन कागजात तैयार करने के कार्य पर निगरानी रखना। सेवानिवृत्ति के छः मास पूर्व समस्त पत्रादि निदेशक को उपलब्ध कराना।
12. अशासकीय महाविद्यालयों में नियुक्त प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण कराया गया या नहीं पर शासन को आख्या भेजना।

**<u>(ख) विकास/सांख्यिकी संबंधी कार्यः–</u>**

1. विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से सांख्यिकी ऑकड़े एकत्रित करना, विश्लेशण करना तथा उन्हें संकलित करके निदेशालय को प्रेशित करना।
2. क्षेत्र में उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण करना।
3. महाविद्यालयों में श्शैक्षिक कार्य संबंधी प्रवृतियों की सूचना एकत्र करना तथा संकलित करना।
4. उपरोक्त के संबंध में समय–समय पर प्रकाशन निकालना।
5. राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य की समीक्षा।

**<u>(ग) वित्तीय कार्यः–</u>**

1. महाविद्यालयों द्वारा 80/75 प्रतिशत श्शुल्काय जमा किये जाने की जॉच करना और उन महाविद्यालयों का बकाया वसूल करना, जिन्होंने उचित अंश जमा न किया हो। समय–समय पर प्रगति की सूचना निदेशालय को देना।
2. ऋण छात्रवृति की वसूली की समीक्षा करना तथा वसूली करने हेतु विधिक एवं न्यायिक कार्यवाही करना।
3. उ0प्र0 श्शैक्षिक संस्थाओं (आस्तियों) के अपव्यय निवारण अधिनियम 1974 के अन्तर्गत महाविद्यालयों के आस्तियॉ का लेखा रखना तत्संबंधी जॉच करना।



4. उच्च शिक्षा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई सम्परीक्षा आख्या सहित निदेशालय को प्रेषित करना।
5. आपदा स्थिति जैसेः बाढ़, सूखा, भूकम्प आदि के संबंध में क्षति का आंकलन करना व क्षतिपूर्ति अनुदान हेतु निदेशालय को संस्तुति करना।
6. विभिन्न अनुदानों अनावर्तक अनुदानों से संबंधित महाविद्यालयों के आवेदन पत्र परीक्षण कर निदेशालय को उपलब्ध कराना।
7. उपभोग प्रमाण–पत्र को महाविद्यालयों से प्राप्त करना तथा उनका सत्यापन कर निदेशालय को प्रेषित करना।
8. नई पेंशन योजनान्तर्गत सामान्य भविष्य निधि की कटौती तथा संबधित अभिलेखों का निरीक्षण करना तथा उनके रख–रखाव को सुनिश्चित करना।
9. महाविद्यालयों का लेखा परीक्षण करना।
10. पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, बर्सर, कार्यालय अधीक्षक तथा कोआर्डिनेटर के पदों को छोड़कर शेष सभी तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन निर्धारण तथ भविष्य निधि से अग्रिम स्वीकृत करना।

**5. <u>राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यो के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारः</u>**

1. महाविद्यालयों की सामान्य प्रशासकीय व्यवस्था, अनुशासन, सामान्य कार्य–संचालन।
2. शिक्षण व्यवस्था, छात्र प्रवेश, परीक्षाओं की आयोजन।
3. शिक्षणेत्तर कार्यकलाप, खेलकूद गति विधियों का अयोजन।
4. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय–अधीक्षक, कैटलागर आदि पदों को छोड़कर वर्ग 'ग' तथा 'घ' के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियॉ।
5. शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन/अनुशासनात्मक कार्यवाही।

## 6. वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन व वित्तीय अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 154 के अधीन राज्य के कार्यकारी अधिकार राज्यपाल में निहित हैं और उन अधिकारों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो सीधे राज्यपाल द्वारा अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 166 के अनुसार शासन के समस्त कार्यकारी राज्यपाल के नाम से किये गए अभिव्यक्त किये जायेंगे।

शासन के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 154 के अन्तर्गत और उपबन्धों के अधीन रहते हुए शासन के अधीनस्थ किसी अधिकारी के उस सीमा तक और ऐसे प्रतिबन्धों के साथ–साथ जिन्हें शासन लगाना आवश्यक समझे, अथवा जो संविधान या शासन के नियमों अथवा आदेशों

या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के उपबन्धों द्वारा पहले से ही लगाये गये हो, प्रतिनिहित किए जा सकते हैं। वे शर्ते और प्रतिबन्ध जिनके अधीन ऐसे अधिकार प्रतिनिहित किये जायें, प्रतिनिहित करने के आदेशों अथवा नियमों में निर्दिश्ट कर देने चाहिए।

चूंकि प्रदेश के समस्त कार्यकारी अधिकार राज्यपाल में निहित हैं और राज्यपाल महोदय के स्तर पर यह सम्भव नहीं है कि सभी अधिकारों का प्रयोग उनके द्वारा किया जाय, अतः राज्य के वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन निम्नांकित में किया गया है :



1—प्रशासकीय विभाग

2—विभागाध्यक्ष

3—कार्यालयाध्यक्ष

## प्रतिनिधायन के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु

1— प्रतिनिधायन करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इससे शासकीय कार्य कलापों में गतिशीलता, दक्षता तथा मितव्ययिता आये और दायित्व का निर्धारण हो सके। प्रतिनिधायन उसी सीमा तक किया जाना चाहिए जिससे कि उक्त लाभ तो प्राप्त हो सके किन्तु शासकीय धन का अपव्यय, दुरुपयोग अथवा क्षरण न हो।

2— वित्तीय नियम बनाने का अधिकार शासन के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी को प्रतिनिहित नहीं किया जा सकता है।

3— वित्तीय अधिकार केवल वित्त विभाग की अनुमति से ही प्रतिनिहित किये जा सकते हैं।

4— किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित किये गये वित्तीय अधिकार, वित्त विभाग की विशिष्ट स्वीकृति के बिना उस प्राधिकारी द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को पुनः प्रतिनिहित नहीं किए जाऐंगे।

शासनादेश संख्या—ए—2—1637/दस—14;1द्ध—75, दिनांक 26 जून 1975 के अधीन प्रशासकीय विभाग सभी मामलों में निम्नलिखित को छोड़कर अपने विभाग में निहित अधिकारों की सीमा तक किसी अधीनस्थ अधिकारी को अधिकार पुनः प्रतिनिहित कर सकते हैं।

1—पदों का सृजन।

2—हानियों को बट्टे खाते में डालना।

3—पुनर्विनियोजन।

शासनादेश संख्या—एस—2—1702/दस—;19द्ध5—1973 दिनांक 25 अगस्त 1973 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों क अधीन प्रशासकीय विभाग अपर विभागाध्यक्ष को विभागाध्यक्ष के समस्त कतिपय वित्तीय अधिकार पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिनिहित कर सकता है।

1— विभागाध्यक्ष की संस्तुति हो।

2— अपर विभागाध्यक्ष श्रेणी एक से कम स्तर का अधिकारी न हो।

**टिप्पणी —** उपरोक्त के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष के अधिकार का प्रतिनिधायन संयुक्त/उप विभागाध्यक्ष को करने की अनुमति नहीं है।

## वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें

1— प्रस्तावित व्यय की स्वीकृति या अन्य कोई स्वीकृति देने से पूर्व देख लिया जाय कि स्वीकृति प्रदान करने के लिए उनके पास अधिकार है या नहीं।

2– व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित बजट उपलब्ध है।

3– आय–व्ययक नियम संग्रह के (प्रस्तर–12;3) वित्तीय औचित्य के मानक के आशय का उल्लंघन स्वीकृति देते समय न हो रहा हो। वित्तीय औचित्य के मानक का तात्पर्य यह है कि व्यय प्रत्यक्षतः उससे अधिकार नहीं नहीं होना चाहिए जितना कि अवसरानुकूल हो। प्रत्येक अधिकारी को चाहिए कि वह अपने नियंत्रणाधीन राजकीय धन से व्यय करते समय उतनी ही



सर्तकता और सावधानी बरतें जितनी कि सामान्य विवेकवान व्यक्ति अपना निजी धन व्यय करने में बरतता है। तथा व्यय स्वीकृति करने की अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसे आदेश देने के निमित्त नहीं करना चाहिए जो स्वयं उसके ही लाभ के लिए हो।

ऐसे भत्तों की धनराशि यथा प्रतिपूर्ति भत्ते, जिन्हें विशेश प्रकार के व्यय के लिए स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार विनियमित करना चाहिए कि वह भत्ते पाने वाले व्यक्तियों के लिए लाभ का साधन न बन जाय।

4– किसी नये सिद्धान्त, नीति अथवा प्रथा या 'नई सेवा' पर जैसा कि बजट मैनुअल में परिभाषित है, व्यय कर से पूर्व शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी।

## वित्तीय अधिकार

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड – 1 वित्तीय अधिकारों के सम्बन्ध में प्रमुख नियमावली है। उक्त के अतिरिक्त प्रसंग अनुसार निम्नांकित नियम संग्रहों में भी प्रतिनिधानित अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है।

1. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग 2 से 4
2. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3
3. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1
4. सिविल सर्विस रेगुलेशन्स
5. बजट मैनुअल
6. उ०प्र० भविष्य निधि नियमावली 1985
7. उ०प्र० मुद्रण एवं लेखन सामग्री नियमावली
8. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) नियमावली 2008

वित्तीय अधिकारों के बारे में जब भी विस्तार से जानकारी की जानी हो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–के अतिरिक्त विषय वस्तु के अनुसार सम्बन्धित नियम संग्रहों का सन्दर्भ भी लेना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से भी अधिकारों को प्रतिनिधायन किया जाता है। अतः अद्यावधिक शासनादेशों का संज्ञान भी लिया जाना चाहिए।

## उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) नियमावली 2008 के अन्तर्गत अध्याय – 2 के मुख्य–मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं:–

| | | |
|---|---|---|
| क्रय/मूल्य वरीयता | 7. | राज्य सरकार प्रशासनिक विभाग के माध्यम से तथा श्शासन के वित्त विभाग की सहमति से , राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की सीमा में विनिर्मित करने वाले लघु कुटीर, उद्योग/खादी/सूक्ष्म उद्यम को क्रय/मूल्य में वरीयता दें सकती है। यह वरीयता, प्राप्त न्यूनतम दर के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। |
| सामग्री के लिए बिना दर सूची (कोटेशन) के क्रय | 8. | जहां क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य रू0 15,000 (रू0 पन्द्रह हजार) तक हो, प्रत्येक ऐसे अवसर पर ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति, द्वारा निम्नांकित प्रारूप में प्रमाण पत्र अभिलिखित करने पर की जा सकती हैं।<br><br>मैं ..... व्यक्तिगत रूप से संतुश्ट हूॅ कि मेरे द्वारा क्रय की गयी सामग्री .....अपेक्षित विशिश्टियॉ तथा गुणवत्ता के अनुरूप है ओर विश्सनीय आपूर्तिकर्ता से उचित दरों पर क्रय की गयी है।''<br>हस्ताक्षर .....<br>अधिकारी का नाम .....<br>पदनाम ..... |
| क्रय समिति के माध्यम से सामग्री का क्रय | 9. | प्रत्येक अवसर पर रू0 15000 (रू0 पन्द्रह हजार ) से अधिक तथा रू0 1,00,000 (रू0 एक लाख) तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन, समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। इस क्रय समिति में अनिवार्य रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखा परीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्त क्रय प्रक्रिया में विशेश रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी होगा, जो अधिप्राप्त सम्बन्धी प्रक्रियाओं और वित्तीय नियमों पर परामर्श देगा। यह क्रय समिति दरों की युक्तियुक्तता, गुणवत्ता तथा विशिश्टता सुनिश्चित करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करती और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता चिन्हित करेगी। क्रय |

आदेश देने की संस्तुति से पूर्व समिति के सदस्य संयुक्त रूप से निम्नानुसार एक प्रमाण पत्र अभिलिखित करेंगेः–

प्रमाणित किया जाता है कि हमारा (1) .....(2)..... .... (3).....का व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से समाधान हो गया है कि जिस सामग्री के क्रय की संस्तुति

**39**

की गयी है वह अपेक्षित विशिश्टताओं और गुणवत्ता वाली है, उसका मूल्य वर्तमान बाजार दर के अनुसार है और जिस आपूर्तिकर्ता की संस्तुति की गई हैं वह विश्वसनीय और प्रश्नगत सामग्री को आपूर्ति करने में सक्षम हैं।

| हस्ताक्षर | (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|---|
| | नाम | नाम | नाम |
| | पदनाम | पदनाम | पदनाम |

39

दर संविदा के अधीन सामग्री का सीधे क्रय

10(1) ऐसी सामग्री और मदों के लिए जिन्हें सामान्य उपयोग की मदों के रूप में चिन्हित किया गया है और जिनकी सरकारी विभागों और एजेंन्सियों को बार–बार आवश्यकता होती है, उनके लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों की पदनामित केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा दर संविदा की जा सकती है। ऐसी दर संविदाओं का विवरण विभाग/श्शासन की वेबसाईट पर रखा जाना चाहिए। विभाग/श्शासन यह सुनिश्चित करेगा कि दर संविदा के मूल्य, बाजार भाव या अन्य संगठनों में समान दर संविदाओं में दिए गये मूल्य से अधिक न हो।

(2) दर संविदाएं सामान्यतः एक समय में एक वर्श के लिए की जा सकेगी। तथापि ऐसी सामग्री के विशय में जिनके मूल्य में निरन्तर उतार चढ़ाव होता रहता है या जहॉ दर संविदा के वैध अवधि में मूल्यों के कम होने की प्रवृत्ति हो, अल्प अवधि के लिए दर संविदा की जा सकती है और ऐसी सामग्री के बाजार भाव पर कड़ी निगरानी रखी जाए। विशेश परिस्थितियों में, वित्त विभाग की सहमति से विभाग को भारत सरकार के केन्द्रीय क्रय संगठन यथा पूर्ति और निपटान महानिदेशक (डी.जी.एस.एड.डी.)द्वारा की गई दर संविदा के आधार पर सामग्री क्रय करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

बोलियों/निविदाओं के माध्यम से सामग्री का क्रय

(11) सक्षम प्राधिकारी बोलियां/निविदाएं प्राप्त करने की निम्नलिखित मानक प्रणालियों का अनुपालन करते हुए सामग्री क्रय करेगा, सिवाय उन मामलों के, जो नियम 8, 9 और 10 के अन्तर्गत नहीं आते हो–

(क) सीमित निविदा पृच्छा (इन्क्वायरी)।

(ख) विज्ञापित निविदा पृच्छा।

(ग) एकल स्त्रोत पृच्छा।

सीमित निविदा पृच्छा

12(1) सीमित निविदा पृच्छा की विधि उस समय अपनायी जा सकती है, जब अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत रू0 15.00.000 (रू0 पन्द्रह लाख) तक हो।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूनतम तीन निविदाएं प्राप्त हो, प्रश्नगत सामग्री के लिए निविदा दस्तावेज,



पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की सूची से तीन से अधिक फर्मों को सीधे स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कुरियर/ई–मेल से भेजे जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त सीमित निविदा के लिए वेबसाइट द्वारा भी प्रचार किया जाना चाहिए।

(3) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा के आधार पर अधिक अनुक्रियाशील निविदा प्राप्त करने के लिए यथा सम्भव अधिकतम अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को चिन्हित किया जाए। ऐसे आपूर्तिकर्ता को चिन्हित करने के लिए विज्ञापन, व्यापक परिचालन वाले प्रकाशनों, राश्ट्रीय समाचार पत्रों और सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं के विभिन्न वेबसाइटों का उपयोग किया जा सकता है।

(4 ) जहां अधिप्राप्ति का अनुमानित मूल्य रू0 15,00,000 (रू0 पन्द्रह लाख) से अधिक हो वहां भी ,निम्नलिखित परिस्थितियों में, सीमित निविदा पृच्छा पद्धति अपनायी जा सकती है–

**(एक)** यदि विभाग प्रमाणित करता है कि मांग अत्यावश्यक है और अत्यावश्यकता को देखते हुए विज्ञापन के माध्यम से निविदा पृच्छा द्वारा अधिप्राप्ति न किए जाने पर होने वाला व्यय न्यायोचित है। विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अत्यावश्यकता की प्रकृति तथा अधिप्राप्ति का पूर्वानुमान न लगाऐ जाने के कारण भी अभिलिखित किए जाएं।

**(दो)** जब सक्षम प्राधिकारी के पास पर्याप्त कारण हो, वहां अभिलिखित किया जाएं कि विज्ञापन के माध्यम से निविदा पृच्छा द्वारा सामग्री की अधिप्राप्ति जनहित में नहीं होगी।

**(तीन)** जब स्त्रोतों की सुनिश्चित जानकारी हों और जिन स्त्रोतों का उपयोग किया जा रहा है उनके अतिरिक्त नये स्त्रोत (स्त्रोतों) की सम्भावना बहुत कम है।

**(चार)** सीमित निविदा पृच्छा में निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए निविदा सूचना की तिथि से कम से कम दो सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए।

# मैनुअल क्रम संख्या– 3

## निर्णय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

(i) निणर्य करने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित।

(ii) महाविद्यालयों का प्रशासनिक एवं शैक्षणिक नियंत्रण एवं निर्देशन, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा तिथियों का निर्धारण एवं शैक्षणिक कलैण्डर संबंधी प्रक्रिया।
नये महाविद्यालयों के खोले जाने में भूमि एवं भवन, पदों एवं अनुदान इत्यादि के मानकों के निर्धारण संबधी शासनादेश।

(iii) नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विशयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण।

**निर्णय करने की प्रकिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)**

शासकीय प्रकृति के रेखीय संगठन में प्राधिकार उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होते हैं, जबकि इसके विपरीत उत्तरदायित्व उच्च स्तर की ओर प्रवाहित होते हैं और इस प्रकार निर्णयन प्रकिया पद सोपान क्रम में समान मार्गो में निहित होती है, जिसे निम्नवत रेखांकित किया जा सकता हैः–

- प्रत्येक प्रकरण जो समुचित प्राधिकारी के विचारार्थ लाया जाता है, सर्वप्रथम अभिलेख एवं प्रपत्रों को धारित करने वाले अनुभाग के पास सत्यापन हेतु भेजा जाता है, जिनके द्वारा उस पर अब तक अनुपालन की गयी प्रकिया की अद्यतन स्थिति तथा उपलब्ध नियमों एवं विनियमों के आलोक में की जा सकने वाली कार्यवाही का उल्लेख किया जाता है।

- पदधारणकर्ता प्रभारी अधिकारी प्रकरण के समय से निस्तारण को सुनिश्चित करने हेतु प्रकिया का पर्यवेक्षण करते है तथा पत्रावली में अपनी टिप्पणी अंकित कर उसे उच्च प्राधिकारी को भेज देते हैं।

- उच्च प्राधिकारी प्रकरण की प्रकृति के अनुसार उचित होने पर, अनुकूलतम एवं सर्वोत्तम संभव निर्णय पर पहुचने हेतु उसके समस्त आयामों पर विचार विमर्श करते हैं।

- विधिक एवं विशेषज्ञ राय की आवश्यकता वाले प्रकरणों में उनसे सलाह के पश्चात ही निर्णय लिये जाते हैं तथा उच्च प्रधिकारियों के पास, निर्देशों एवं स्वीकृतियों हेतु प्रेषित प्रस्तावों पर उनके निर्देश प्राप्त किये जाते हैं।

- उचित निर्णयों पर पहुचनें हेतु विभागीय स्तर पर नियुक्त समितियों से, उनको सौपे गये विशिष्ट कार्य पर, उनकी संस्तुतियॉ भी प्राप्त की जाती हैं।
- नियमों एवं आदेशों के अनुसार प्रत्येक समूह के अधिकारियो हेतु अनुमन्य प्रतिनिहित प्राधिकार सीमा के अन्तर्गत ही निर्णय लिये जाते हैं। उचित नियोजन, नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सेमिनारों, सम्मेलनों, सभाओं एवं वर्कशापों का आयोजन भी किया जाता है।



**महाविद्यालयों का प्रशासनिक एवं शैक्षणिक नियंत्रण एवं निर्देशन, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा तिथियों का निर्धारण एवं शैक्षणिक कलैण्डर संबंधी प्रक्रिया।**

उत्तरांचल में अवस्थित सामान्य शिक्षा प्रदारन करने वाले शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय उच्च शिक्षा निदेशालय एवं उच्च शिक्षा विभाग उत्तरांचल के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के अर्न्तगत आते हैं। किन्तु शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर क्रियापलापों केसम्बन्ध में उन पर कुमायूं विश्वविद्यालय एवं गढ़वाल विश्वविद्यालय का निर्देशन एवं नियंत्रण रहता है। विश्वविद्यालयों के द्वारा ही अपने सम्बद्व महाविद्यालयों के लिये शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों का कलैण्डर बनाया जाता है। जिसके लिये विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समितियों में महाविद्यालयों के प्राचार्य अथवा उनके प्रतिनिधि भी सदस्य होते हैं।

1. प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों एवं प्रक्रिया का निर्धारण प्रतिवर्ष सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। यह नियम विभिन्न महाविद्यालयों के द्वारा निर्गमित सूचना विवरणिकाओं में भी प्रकाशित होते हैं। महाविद्यालयों में प्रवेश इन्हीं नियमों के अन्तर्गत किया जाता है।
2. कतिपय पेशेवर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा बी0एड0, एम0बी0ए0,एल0एल0बी0, एल0एल0एम0 तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों इत्यादि में प्रवेश पात्रता परीक्षा के आधार पर किये जाते हैं। जबकि अन्य पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों पर योग्यता क्रम में विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश दिया जाता है।
3. परीक्षा तिथियों एवं पाठ्क्रमों का निर्धारण विश्वविद्यालयों के द्वारा किया जाता है तथा परीक्षायें महाविद्यालयों में बनाये गये परीक्षा केन्द्रों पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के निर्देशन में आयोजित करायी जाती है। एतदर्थ वरिष्ठ एवं सहायक केन्द्राधीक्षकों, प्रयोगिक परीक्षा परीक्षकों प्रधान एवं सहायक परीक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती हैं तथा परीक्षा परिणाम भी विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित किये जाते हैं।
4. विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार ही विभिन्न महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है एवं राष्ट्रीय सेवायोजना सामान्य कार्यक्रमों एवं विशेश शिविरों का आयोजन भी विश्वविद्यालयों के द्वारा घोषित कैलेण्डर के अनुसार किया जाता है।
5. शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं पदोन्नति के द्वारा विभिन्न शासकी महाविद्यालयों में तैनाती सामान्यतः वार्षिक प्रबन्ध के समय की जती है।
6. नये महाविद्यालयों के खोले जाने की प्रक्रिया एवं भूमि एवं भवन तथा पदों एवं अनुदान के मानक विभिन्न शासनादेशों के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

**नये महाविद्यालयों की स्थापना**

**क– औचित्य निर्धारण –** जिस स्थान पर नवीन महाविद्यालय स्थापित करना प्रस्तावित है उस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित करने का औचित्य निर्धारण हेतु यह देखना आवश्यक है कि–

अ. उस क्षेत्र में अन्य विकसित महाविद्यालय कितने हैं।

ब. प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी क्या है।

स. उस क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान विद्यालयों को देखते हुए किसी सीमा तक अपूर्ण रही जाती है। तथा

द. क्या प्रार्थित स्थान पर महाविद्यालय खुलने पर अन्य महाविद्यालयों पर बिना किसी कुप्रभाव के 300 तक छात्र उपलब्ध हो सकेंगे।



**ख– भूमि–** नयी सम्बद्धता के लिये महाविद्यालयों के पास निजी भूमि का होना अनिवार्य है। स्नातक महाविद्यालय के लिये भूमि का मानक निम्नवत होगा–

| | |
|---|---|
| अ– पर्वतीय क्षेत्र | 5000 वर्ग मी0 |
| ब– नगर निगम क्षेत्र | 5000 वर्ग मी0 |
| स– नगरपालिका परिशद क्षेत्र | 7000 वर्ग मी0 |
| द– अन्य क्षेत्र | 10000 वर्ग मी0 |

महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु उक्त मानक का 50ः भूमि पर्याप्त होगी।

**ग. भवन**– महाविद्यालय के पास आवश्यकता अनुसार अपना निजी भवन होना अनिवार्य है जो इण्टर कालेज से पृथक होना चाहिए। कला संकाय के 7 स्नातक स्तरीय विशयों के लिए न्यूनतम 3 व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय, वाचनालय कक्ष, अध्यापक कक्ष, छात्र कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, परीक्षा व मिटिग कक्ष होना चाहिए। प्रत्येक प्रयोगात्मक विशय के लिए एक पृथक प्रयोगशाला होनी चाहिए वाण्ज्यि संकाय के प्रत्येक सैक्शन के लिए एक अतिरिक्त व्याख्यान कक्ष की आवश्यकता हेागी।

**एक नए डिग्री कालेज के लिए जहाँ कला संकाय के सात विशय चलाये जाने हो, भूमि और भवन को न्यूनतम आवश्यकताओं का मानक।**

| | | |
|---|---|---|
| 3 व्याख्यान कक्ष ;प्रत्येक कक्ष 900 वर्ग फीट | = | 2,700 वर्ग फीट |
| 1 पुस्तकालय –वाचनालय कक्ष | = | 2,000 वर्ग फीट |
| 1 प्राध्यापक कक्ष | = | 200 वर्ग फीट |
| 1 छात्रा कक्ष | = | 200 वर्ग फीट |
| प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष कार्यालय कक्ष, परीक्षा व मीटिंग कक्ष और लेखा कक्ष | = | 900 वर्ग फीट |
| बरामदा | = | 1,000 वर्ग फीट |
| | = | योग= 7,000 वर्ग फीट |

**घ– पुस्तकालय–**

**स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालय में पुस्तकालय हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय का सामान्य मानक**

| | अनावर्तक व्यय दो वर्षो में | आवर्तक व्यय प्रति वर्ष में | |
|---|---|---|---|
| 1– विज्ञान तथा कृषि का प्रत्येक विषय | | 50,000 | 8,000 |
| 2– भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र,सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान प्रत्येक विषय | | 30,000 | 5,000 |
| 3– कला संकाय के शेष प्रति विषय | | 25,000 | 3,000 |
| 4–वाणिज्य विधि प्रत्येक | | 30,000 | 5,000 |
| 5–शिक्षा प्रशिक्षण | 25,000 | 3,000 | |

**(ड.) प्रयोगशाला–**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| . ड्राइंग पेंटिंग | 7,000 | 10,000 | 750 | 200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | संगीत | 1,000 | 10,000 | 750 | 200 |
| 3. | भूगोल, मनोविज्ञान सांख्यिकी, गृहविज्ञान, सैन्य विज्ञान में प्रति विषय | 10,000 | 15,000 | 1,000 | 200 |
| 4. | भौतिक प्राणी एवं वनस्पति प्रति विषय | 20,000 | 50,000 | 5,000 | 500 |
| 5. | रसायन विज्ञान ;गैस व डिटिस्ल्ड वाटर सहित | 25,000 | 70,000 | 6,000 | 750 |
| 6. | भूगर्भ विज्ञान | 20,000 | 30,000 | 3,000 | 200 |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | कृषि एग्रोनामी सांख्यकी कृषि प्रसार, कृषि तकनीकि, कृषि दुग्ध विज्ञान, प्रति विषय | 5,000 | 7,000 | 500 | 50 |
| 8. | कृषि पादप रोग, कीट विज्ञान जिनेटिक्स उद्यान तथा कृषि रसायन प्रति विषय | 10,000 | 10,000 | 750 | 50 |
| 9. | म्यूजिम प्रति विषय जहाँ अनिवार्य है | 5,000 | 5,000 | 250 | — |
| 10. | अन्य प्रति कृषि विषय | 5,000 | 5,000 | 500 | 50 |
| 11. | शिक्षा प्रशिक्षण ;पूरे संकाय हेतु | 5,000 | 5,000 | 500 | — |

| | | स्नातकोत्तर आवर्तक प्रति 15 छात्र | | प्रति अतिरिक्त छात्र | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रसायन एक ब्रांच के साथ | 20,000 | 1,00,000 | 15,000 | 2,500 |
| 2. | अतिरिक्त ब्रांच एक | 5,000 | 25,000 | 5,000 | — |
| 3. | विज्ञान के शेष तथा कृषि प्रति विषय एक ब्रांच के साथ | 20,000 | 1,00,000 | 12,000 | 2,000 |
| 4. | अतिरिक्त प्रति ब्रांच भौतिकी छोड़कर | 5,000 | 15,000 | 2,500 | — |
| 5. | भौतिकी के अतिरिक्त ब्रांच में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार– | | | | |

# मैनुअल क्रम सं0 – 4

**कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम।**

मैनुअल–3 में उल्लिखित समस्त नियमों, विनियमों, अनुदेशों तथा अभिलेखों में इनका उल्लेख हैं। इसके अतिरिक्त निम्नाकिंत नियमावलियों से भी सन्दर्भ आवश्यकतानुसार लिया जाता है।

1. उत्तर प्रदेश मूल नियम वित्तीय हस्त पुस्तिका (समस्त खण्ड)
2. मूल सेवा नियमावली
3. सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली

**<u>कार्यालय में उपस्थिति एवं ठहराव का समयः–</u>**

**<u>निदेशालय/कार्यालय उपनिदेशक (शिविर)।</u>**

प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक (कार्य दिवसों में) महाविद्यालय/संस्था की निर्धारित समय सारिणी के अनुसार नियमित रूप में प्राध्यापकों की उपस्थिति आवश्यक है किन्तु प्रत्येक प्राध्यापक के लिए न्यूनतम 4 घण्टे की उपस्थिति यू0जी0सी0 मानकों के अनुसार अनिवार्य है। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार अधिक समय उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

**महाविद्यालय/अन्य उच्च शिक्षा केन्द्र।**

प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक (कार्य दिवसों में) महाविद्यालय/संस्था की निर्धारित समय सारिणी के अनुसार नियमित रूप में प्राध्यापकों की उपस्थिति आवश्यक है किन्तु प्रत्येक प्राध्यापक के लिए न्यूनतम 4 घण्टे की उपस्थिति यू0जी0सी0 मानकों के अनुसार अनिवार्य हैं। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार अधिक समय उपस्थित रहने के निर्देश जानी किए जा सकते हैं।